



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122021-232263
CG-DL-E-30122021-232263

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 67] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943 (शक)
No. 67] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSA 9, 1943 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 30th December, 2021/Pausa 9, 1943 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 29th December, 2021 and is hereby published for general information:—

THE ELECTION LAWS (AMENDMENT) ACT, 2021

(No. 49 OF 2021)

[29th December, 2021.]

An Act further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951.

BE it enacted by Parliament in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Election Laws (Amendment) Act, 2021.

Short title and
commencement.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

CHAPTER II

AMENDMENTS TO THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1950

Amendment
of section 14.

2. In the Representation of the People Act, 1950 (hereafter in this Chapter referred to as the 1950 Act), in section 14, in clause (b), for the words, figure and letters "the 1st day of January", the words, figures and letters "the 1st day of January, the 1st day of April, the 1st day of July and the 1st day of October" shall be substituted. 43 of 1950.

Amendment
of section 20.

3. In section 20 of the 1950 Act, in sub-section (6),—

(i) for the word "wife", the word "spouse" shall be substituted;

(ii) for the words "if she", the words "if such spouse" shall be substituted.

Amendment of
section 23.

4. In section 23 of the 1950 Act, after sub-section (3), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

'(4) The electoral registration officer may for the purpose of establishing the identity of any person require that such person may furnish the Aadhaar number given by the Unique Identification Authority of India as per the provisions of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016:

18 of 2016.

Provided that the electoral registration officer may also require the Aadhaar number from persons already included in the electoral roll for the purposes of authentication of entries in electoral roll and to identify registration of name of the same person in the electoral roll of more than one constituency or more than once in the same constituency.

(5) Every person whose name is included in the electoral roll may intimate his Aadhaar number to such authority in such form and manner as may be prescribed, on or before a date to be notified by the Central Government in the Official Gazette.

(6) No application for inclusion of name in the electoral roll shall be denied and no entries in the electoral roll shall be deleted for inability of an individual to furnish or intimate Aadhaar number due to such sufficient cause as may be prescribed:

Provided that such individual may be allowed to furnish such other alternate documents as may be prescribed.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.

18 of 2016.

Amendment
of section 28.

5. In section 28 of the 1950 Act, in sub-section (2), after clause (hhh), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(hhha) the authority and the form and manner of intimation of Aadhaar number under sub-section (5) of section 23;

(hhhb) the sufficient cause and furnishing of alternate documents to be provided by the individual under sub-section (6) of section 23."

CHAPTER III

AMENDMENTS TO THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951

Amendment
of section 60.

6. In the Representation of the People Act, 1951 (hereafter in this Chapter referred to as the 1951 Act), in section 60, in clause (b), in sub-clause (ii), for the word "wife", occurring at both the places, the word "spouse" shall be substituted. 43 of 1951.

7. In section 160 of the 1951 Act, in sub-section (1),—

Amendment
of section
160.

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as polling stations, for counting, for storage of ballot boxes, voting machines (including voter verifiable paper audit trail) and poll related material after a poll has been taken, accommodation for security forces and polling personnel; or";

(ii) in the proviso, for the words "Provided that", the following shall be substituted, namely:—

"Provided that such premises shall be requisitioned after the issuance of the notification by the Election Commission under section 30 for such election till the date notified under clause (e) thereof:

Provided further that".

DR. REETA VASISHTA,
Secretary to the Govt. of India.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062022-236686
CG-DL-E-18062022-236686

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2668]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944

No. 2668]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

का.आ. 2802(अ).—केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 के उपनियम (2) और उपनियम (3) में, "उसकी पत्नी" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "उसकी पत्नी या उसका पति" शब्द रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों के नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--
"13. दावों और आक्षेपों के लिए प्ररूप—(1) नामावली में नए निर्वाचक के रूप में नाम को सम्मिलित करने के लिए प्रत्येक दावा प्ररूप 6 में होगा और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
(2) विद्यमान नामावली में नाम के प्रस्तावित समावेश के लिए प्रत्येक आक्षेप या नाम को हटाए जाने के लिए आवेदन प्ररूप 7 में होगा और केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसका नाम पहले से ही उस नामावली में सम्मिलित है।

(3) नामावली में की किसी प्रविष्टि की विशिष्टि या विशिष्टियों की बाबत प्रत्येक आक्षेप या निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर या निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर निवास-स्थान के स्थानांतरण के लिए आवेदन या प्रविष्टियों में सुधार करने या अद्यतन करने के लिए आवेदन प्ररूप 8 में होगा और केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिससे वह प्रविष्टि संबद्ध है।

4. उक्त नियमों के नियम 14 में,—

(i) प्रारंभिक भाग में, “विशिष्टियों में शुद्धि के लिए या प्रविष्टियों के क्रम में परिवर्तन के लिए आवेदन” शब्दों के स्थान पर, “विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार के लिए या निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर या निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर निवास-स्थान के स्थानांतरण के लिए आवेदन” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) में, “रजिस्ट्रीकरण आफिसर” के स्थान पर, “ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का रजिस्ट्रीकरण आफिसर, जिसमें आवेदक साधारणतया निवास कर रहा है” शब्द रखे जाएंगे;

5. उक्त नियमों के नियम 15 में,—

(i) उपनियम (1) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) प्ररूप 9 में दावों की सूची, प्ररूप 10 में नामों के सम्मिलित किए जाने की बाबत आक्षेपों की सूची, प्ररूप 11 में विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों के आक्षेपों की सूची या प्रविष्टियों में सुधार करने या अद्यतन करने के लिए आवेदन और प्ररूप 11क में निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर निवास-स्थान के स्थानांतरण के लिए आवेदन की सूची और प्ररूप 11ख में निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर निवास-स्थान के स्थानांतरण के लिए आवेदन की सूची दो प्रतियों में रखेगा; और”;

(ii) उपनियम (2) में, “विशिष्टियों में शुद्धि के लिए या प्रविष्टियों के क्रम में परिवर्तन के लिए” शब्दों के स्थान पर, “विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार करने के लिए या प्रविष्टियों में सुधार करने या अद्यतन करने के लिए आवेदन या निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर या निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर निवास-स्थान के स्थानांतरण के लिए आवेदन” शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 16 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) प्ररूप 9, प्ररूप 10, प्ररूप 11, प्ररूप 11क और प्ररूप 11ख में पांच सूचियों को दो प्रतियों में रखेगा और सीधे नियम 14 के अधीन किए गए या नियम 15 के अधीन भेजे गए प्रत्येक दावे या आक्षेप की विशिष्टियां उन सूचियों में वैसे ही और तब प्रविष्ट करेगा जब, विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार करने के लिए आवेदन या प्रविष्टियों में सुधार करने या अद्यतन करने के लिए आवेदन या निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर या निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर निवास-स्थान के स्थानांतरण के लिए आवेदन, जब उसे प्राप्त हो; और”।

7. उक्त नियमों के नियम 26 में,—

(i) उपनियम (1) में, “6, 6क, 7, 8, 8क और 8ख” अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर, “6, 6क, 7 और 8” अंक अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपनियम (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(1क) ऐसा प्रत्येक आवेदन, जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट किया जाता है, अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से, अर्थात् वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर है, रजिस्ट्रीकरण आफिसर के पास ऐसी रीति में प्रस्तुत किया जाएगा, जो निर्वाचन आयोग निदेश दे।”।

8. उक्त नियमों के नियम 26 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“26क. संशोधनों की सूची का विलयन और एकीकरण—उपनियम (1क) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हता की तारीखों के लिए निर्देश के साथ तैयार की गई संशोधनों की सूची को, प्रत्येक निर्वाचन और उप-निर्वाचन के पूर्व, अंतिम रूप से प्रकाशित नामावली और नियम 10 के अधीन प्रारूप के रूप में प्रकाशित नामावली के साथ विलयन और एकीकरण किया जाएगा और उक्त निर्वाचन के निकट की अर्हता की तारीख के लिए निर्देश के साथ पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, जो निर्वाचन आयोग निदेश दे।

26ख. विद्यमान निर्वाचकों द्वारा आधार संख्यांक उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपबंध—प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम नामावली में सम्मिलित किया जाता है, अधिनियम की 23 की उपधारा (5) के अनुसार प्ररूप 6ख में रजिस्ट्रीकरण आफिसर को अपना आधार संख्यांक सूचित कर सकेगा।”।

9. उक्त नियमों के प्ररूप 1, प्ररूप 2, प्ररूप 2क और प्ररूप 3 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

[illegible]

नातेदार के प्रकार		पिता		माता		पति		पत्नी		अन्य						
आयु		वर्ष		मास	जन्म की तारीख		ता	ता	/	मा	मा	/	व	व	व	व

लिंग ☐ पुरुष ☐ महिला

धृत पद _____

ईपीआईसी सं. (यदि जारी की गई हो) _____

आधार के ब्यौरे : (कपया उचित खाने में सही का निशान लगाएं)

[illegible]

(ख) में आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है

[illegible]

ई-मेल पता (वैकल्पिक) _____

में घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और यदि मैं ऊपर वर्णित पद धारण किए न होता तो मैं निम्न स्थान पर मामूली तौर पर निवासी होता :-

मकान/भवन/अपार्टमेंट संख्या	गली/मोहल्ला
परिक्षेत्र	नगर/ग्राम
डाकघर	पुलिस थाना
तहसील/तालुका/मंडल	पिन कोड
जिला	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

सभा निर्वाचन क्षेत्र _____

मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता/करती हूं कि मेरा/मेरी (पति/पत्नी) श्री/श्रीमती _____ जिसकी

आयु वर्ष मास जन्म की तारीख

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

है, मेरे साथ मामली तौर पर निवास करता/करती है और वह भारत का/की नागरिक है ।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने "और मेरी पत्नी या पति ने न तो स्वयं/न मैंने पहले से ही रजिस्ट्रीकरण कराया है और न ही इस स्थान में जहाँ वर्तमान में कार्यरत हूँ और रह रहा/रही हूँ या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में साधारण निर्वाचकों के रूप में ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे उस विधि की जानकारी है, जो या उसी निर्वाचन क्षेत्र में या भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान से अधिक स्थानों पर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करवाने के लिए प्रतिषिद्ध करती है और यदि मेरा नाम^१ या मेरे पति या पत्नी का नाम भिन्न स्थानों पर इस प्रकार प्रकट होता है तो मेरे मूल निवास स्थान, जिसके लिए मैंने कथन किया है, के सिवाय ऐसे सभी स्थानों से उसे हटा दिया जाए।

तारीख :

.....

(हस्ताक्षर)

(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग हेतु)

कथन20 को प्राप्त हुआ सभा निर्वाचन क्षेत्र सं.

..... के लिए निर्वाचन नामावली में भाग सं..... क्रम सं. पर रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

तारीख :

निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण आफिसर

* जो लागू न हो तो काट दीजिए ।

અભિલેખ ભારસાધક આફિસર

(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग हेतु)

कथन20 को प्राप्त हुआ सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. के लिए निर्वाचन नामावली में सेवा नियोजित मतदाता भाग क्रम सं. पर रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

तारीख :

निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण आफिसर

*जो लागू न हो तो काट दीजिए ।

"प्ररूप-2क (नियम 7 देखिए) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे सदस्य द्वारा, जो उस राज्य से बाहर सेवा कर रहा है, मामूली निवास स्थान के बारे में कथन		पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए नवीनतम अहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार के फोटो (4.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) चिपकाने के लिए स्थान ।													
निजी ब्यौरे															
पूरा नाम															
नातेदार का नाम															

नातेदार के प्रकार ☐ पिता ☐ माता ☐ पति ☐ पत्नी ☐ अन्य
 आयु वर्ष मास जन्म की तारीख

ता	ता	/	मा	मा	/	व	व	व	व
----	----	---	----	----	---	---	---	---	---

लिंग ☐ पुरुष ☐ महिला

ईपीआईसी सं. (यदि जारी की गई हो)

आधार के ब्यौरे : (कृपया उचित खाने में सही का निशान लगाएं)

(क) आधार सं.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 या

(ख) में आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है

मोबाइल सं. (वैकल्पिक)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ई-मेल पता (वैकल्पिक)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ और यदि मैं राज्य के बाहर सशस्त्र पुलिस सेवा न कर रहा होता तो मैं निम्न स्थान पर मामूली तौर पर निवासी होता :-

मकान/भवन/अपार्टमेंट संख्या	गली/मोहल्ला
परिक्षेत्र	नगर/ग्राम
डाकघर	पुलिस थाना
तहसील/तालुका/मंडल	पिन कोड
जिला	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

सभा निर्वाचन क्षेत्र

सेवा के ब्यौरे

सेवा/बक्सुआ सं.

पंक्ति

सशस्त्र पुलिस बल का नाम

कमांडेंट के कार्यालय का नाम और पता

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी (पति/पत्नी) श्री/श्रीमती जिसकी

आयु वर्ष मास जन्म की तारीख

ता	ता	/	मा	मा	/	व	व	व	व
----	----	---	----	----	---	---	---	---	---

है, मेरे साथ मामूली तौर पर निवास करता/करती है और वह भारत का/की नागरिक है ।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने और मेरी पत्नी या पति ने न तो स्वयं/न मैंने पहले से ही रजिस्ट्रीकरण कराया है और न ही इस स्थान में जहां वर्तमान में कार्यरत हूँ और रह रहा/रही हूँ या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली के साधारण भाग में साधारण निर्वाचकों के रूप में ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे उस विधि की जानकारी है, जो या उसी निर्वाचन क्षेत्र में भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान से अधिक स्थानों पर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करवाने के लिए प्रतिषिद्ध करती है और यदि मेरा नाम या मेरे पति या पत्नी का नाम भिन्न स्थानों पर इस प्रकार प्रकट होता है तो मेरे मूल निवास स्थान, जिसके लिए मैंने कथन किया है, की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग के सिवाय ऐसे सभी स्थानों से उसे हटा दिया जाए ।

तारीख :

(हस्ताक्षर)

कमांडेंट कार्यालय

सत्यापित किया गया और ठीक पाया गया

फोलियो सं.

(हस्ताक्षर)

स्थान

(पदनाम)

तारीख

कमांडेंट

(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग हेतु)

कथन20 को प्राप्त हुआ सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. के लिए निर्वाचन नामावली में सेवा नियोजित मतदाता भाग क्रम सं. पर रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

तारीख :

निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण आफिसर

*जो लागू न हो तो काट दीजिए ।

"प्ररूप-3 (नियम 7 देखिए) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 भारत के बाहर पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित व्यक्ति द्वारा मामूली निवास स्थान के बारे में कथन															पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए अहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो (4.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) चिपकाने के लिए स्थान ।										
निजी ब्यौरे																									
पूरा नाम																									
नातेदार का नाम																									
नातेदार के प्रकार	☐	पिता	☐	माता	☐	पति	☐	पत्नी	☐	अन्य															
आयु		वर्ष		मास	जन्म की तारीख				ता		ता		/	मा		मा		/	व		व		व		व
लिंग	☐	पुरुष	☐	महिला																					
ईपीआईसी सं. (यदि जारी की गई हो)																									
आधार के ब्यौरे : (कृपया उचित खाने में सही का निशान लगाएं)																									
(क)		आधार सं.																							
(ख)		मैं आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है																							
मोबाइल सं. (वैकल्पिक)																									
ई-मेल पता (वैकल्पिक)																									
मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ और यदि मैं भारत सरकार के अधीन नीचे वर्णित पद धारण किए न होता तो मैं निम्न स्थान पर (पूरा डाक पता) मामूली तौर पर निवासी होता :-																									
मकान/भवन/अपार्टमेंट संख्या												गली/मोहल्ला													
परिक्षेत्र												नगर/ग्राम													
डाकघर												पुलिस थाना													
तहसील/तालुका/मंडल												पिन कोड													
जिला												राज्य/संघ राज्यक्षेत्र													

सभा निर्वाचन क्षेत्र

सेवा के ब्यौरे

विशिष्ट पहचान सं.

भारत के बाहर धृत पद के ब्यौरे

कार्यालय प्रमुख का पता

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मेरा/मेरी (पति/पत्नी) श्री/श्रीमती . जिसकी

आयु

वर्ष

मास

जन्म की तारीख

ता

ता

/

मा

मा

/

व

व

व

है, मेरे साथ मामूली तौर पर निवास करता/करती है और वह भारत का/की नागरिक है ।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने "और मेरी पत्नी या पति ने न तो स्वयं/न मैंने पहले से ही रजिस्ट्रीकरण कराया है और न ही इस स्थान में जहां वर्तमान में कार्यरत हूँ और रह रहा/रही हूँ या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली के साधारण भाग में साधारण निर्वाचकों के रूप में ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे उस विधि की जानकारी है, जो या उसी निर्वाचन क्षेत्र में भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान से अधिक स्थानों पर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करवाने के लिए प्रतिषिद्ध करती है और यदि मेरा नाम या मेरे पति या पत्नी का नाम भिन्न स्थानों पर इस प्रकार प्रकट होता है तो मेरे मूल निवास स्थान, जिसके लिए मैंने कथन किया है, की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग के सिवाय ऐसे सभी स्थानों से उसे हटा दिया जाए ।

तारीख :

.....

(हस्ताक्षर)

सत्यापित किया गया और ठीक पाया गया

(हस्ताक्षर)

कार्यालय प्रमुख का पदनाम

(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग हेतु)

कथन20 को प्राप्त हुआ सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. के लिए निर्वाचन नामावली में सेवा नियोजित मतदाता भाग क्रम सं. पर रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

तारीख :

निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण आफिसर

*जो लागू न हो तो काट दीजिए ।

10 उक्त नियमों के प्ररूप 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

	“प्ररूप 6 [नियम 13(1) और (26) देखिए] भारत निर्वाचन आयोग नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र	प्ररूप सं०. (कार्यालय द्वारा भरा जाए)
सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर, सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम @ (@ केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधानसभा नहीं है) मैं उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता/करती हूँ ।	सं. नाम सं. नाम	

सफेद पृष्ठभूमि के साथ पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए अहस्ताक्षरित रंगीन पासपोर्ट आकार (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.) की नवीनतम फोटो चिपकाने के लिए स्थान

[illegible][illegible][illegible]

पिता या माता या पति या पत्नी या अनाथ की दशा में विधिक संरक्षक

[illegible][illegible][illegible]

मद सं. 2 पर उल्लिखित नातेदार का ई-मेल खाता

(5) आधार के ब्यौरे:- ((समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाए)

(क) आधार सं0 या

(ख) मैं आधार स0 प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है ।

(6) लिंग पुरुष स्त्री तृतीय लिंग

(7) (क) जन्म तारीख	ता	ता	/	मा	मा	/	व	व	व	व
--------------------	----	----	---	----	----	---	---	---	---	---

(ख) आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज की स्वःप्रमाणित प्रति संलग्न है (निम्नलिखित में से कोई एक)

(i) जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज :- (इनमें से कोई एक)

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | ☐ | सक्षम स्थानीय निकाय/नगरपालिक प्राधिकरण/जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र |
| 2. | ☐ | आधार कार्ड |
| 3. | ☐ | पैन कार्ड |
| 4. | ☐ | चालन अनुज्ञप्ति |
| 5. | ☐ | सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी कक्षा 10 या कक्षा 12 का प्रमाणपत्र, यदि इसमें जन्म तारीख अंतर्विष्ट है । |
| 6. | ☐ | भारतीय पासपोर्ट |

(ii) जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज :- (यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो) (कृपया विनिर्दिष्ट करें) _____

(8) (क) वर्तमान साधारण निवास (पूरा पता)	मकान/भवन/अपार्टमेंट सं०	गली/क्षेत्र/स्थानीय क्षेत्र/मोहल्ला/रोड
	नगर/गांव	डाक घर
	पिन कोड	तहसील/तालुका/मंडल
	जिला	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

(ख) या तो आवेदक के नाम में या माता-पिता/पति-पत्नी/वयस्क बच्चों, यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है, में से किसी एक के नाम में पते की स्व:प्रमाणित प्रति (उनमें से कोई एक संलग्न करें)

(i) निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज :- (इनमें से कोई एक)

- | | |
|---|--|
| 1. ☐ उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिल (कम से कम 1 वर्ष का) | 2. ☐ आधार कार्ड |
| 3. ☐ राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाक घर की वर्तमान पास बुक | 4. ☐ भारतीय पासपोर्ट |
| 5. ☐ राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है | |
| 6. ☐ रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में) | 7. ☐ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में) |

(ii) निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज :-

(यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(9) दिव्यांगता का प्रवर्ग, यदि कोई हो (वैकल्पिक) ☐ चलित्र ☐ दृष्टि ☐ मूक-बधिर
यदि कोई और हो (वर्णन करें) _____

(10) मेरे परिवार के सदस्यों, जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित है और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ, के ब्यौरे निम्नानुसार है :

परिवार के सदस्य का

आवेदक के साथ संबंध

नाम: _____

उसका निर्वाचक फोटो

पहचान पत्र सं0 : _____

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार,--

(i) मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान है :- _____ ग्राम/शहर

_____ जिला _____ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

(ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8(क) में दिए गए पते वाले स्थान में (मास और वर्ष का वर्णन करें) से मामूली तौर से निवासी हूँ ।

(iii) मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूँ और किसी सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है ।

(iv) मेरे पास आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है । अतः, मैंने आयु सबूत के समर्थन में (दस्तावेज का नाम) संलग्न किया है (यदि लागू न हो, तो काट दे) ।

(v) मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करता/करती हूँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा ।

तारीख: _____

स्थान : _____

आवेदन के हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

अभिगम्यता अनुदेश :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंधों के आलोक में, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहु दिव्यांगता आदि वाले व्यक्ति की दशा में, दिव्यांग व्यक्ति का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या उसके/उसकी विधिक संरक्षक का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपेक्षित होगा।

टिप्पण -

*	विवाहित स्त्री आवेदक की दशा में, अधिमानतः पति का नाम उल्लिखित किया जाए।
^	उल्लिखित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति का प्रस्तुत किया जाना सेवाओं के त्वरित परिदान को सुनिश्चित करेगा।
#	उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की दशा में, मौका सत्यापन आवश्यक है। उदाहरणार्थ, प्रवर्गी, जैसे गृहविहीन भारतीय नागरिकों, जो निर्वाचक होने के लिए अन्यथा योग्य हैं, लेकिन जिनके पास साधारण निवास के सबूत का कोई दस्तावेज नहीं है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मौका सत्यापन के लिए किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगा।

✂ आवेदन के लिए अभिस्वीकृति/रसीद

✂

अभिस्वीकृति संख्या

तारीख

श्री/श्रीमती/सुश्री का प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ।

[आवेदक, आवेदन की प्रास्थिति जांचने के लिए अभिस्वीकृति संख्या का संदर्भ ले सकती है।]

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

प्ररूप 6 से संलग्न किया जाए

(*के साथ चिन्हित स्थान आज्ञापक है)

प्ररूप 6 आवेदन भरे जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. सामान्य अनुदेश :-

(क) आवेदन, ऐसे सभा निर्वाचन क्षेत्र (एसी)/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (पीसी) के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को संबोधित किए जाएंगे, जिसमें आवेदक साधारणतया निवास करता है। यदि आवेदक सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम के बारे में नहीं जानता है या उसे कोई शंका है, तो उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा सहायता दी जा सकेगी और आवेदन को केवल सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम उल्लिखित न किए जाने के आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा।

(ख) आवेदक, अंग्रेजी या राज्य की राजभाषा में आवेदन की प्रविष्टियां भर सकता है और यह आवेदन को रद्द किए जाने का आधार नहीं होगा।

(ग) किसी शांत स्टेशन पर उसके पदस्थापन के स्थान पर निर्वाचक नामावली में साधारण निर्वाचक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन करने वाले सेवारत कार्मिक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में सेवारत मतदाता या साधारण निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित न हो।

*(घ) फोटो: सफेद पृष्ठभूमि के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली, रंगीन पासपोर्ट आकार (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.) की नवीनतम अहस्ताक्षरित फोटो दिए गए स्थान पर चिपकाई जानी चाहिए। आंखें खुली होनी चाहिए और चेहरे के दोनों किनारे स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।

(ङ) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) : ईपीआईसी, नामांकन के पश्चात्, समुचित पावती के साथ बिना किसी लागत के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए गए डाक पते पर परिदत्त किया जाएगा।

2. **मद (1)* (नाम) :** सही नाम और वर्तनी, राज्य की राजभाषा और अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि केवल एक भाषा में भरा गया है तो प्रणाली स्वतः ही अन्य भाषा में लिप्यन्तरण करेगी, जिससे वर्तनी में त्रुटियां हो सकती हैं।

3. **मद (2क) और मद (2ख) *(नातेदार का नाम और उपनाम) :** विवाहित महिला आवेदक की दशा में, अधिमानतः उसके पति का नाम उल्लेखित किया जा सकेगा। (स्तंभ में लागू नहीं होने वाले विकल्पों को काट दें।)

4. **मद (5) आधार के ब्यौरे :** प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है तो मद 5(ख) पर बॉक्स में उसका उल्लेख किया जाए।

5. **मद (6) (लिंग) :**

*(क) लिंग के लिए उपबंधित समुचित बॉक्स में स्पष्ट रूप से 'पुरुष'/'स्त्री'/'तृतीय लिंग' चिह्नित किया जाना चाहिए।

(ख) तृतीय लिंग से संबंधित आवेदक, अपने लिंग को 'पुरुष' के रूप में या 'स्त्री' के रूप में या 'तृतीय लिंग' के रूप में उपदर्शित कर सकेगा।

6. **मद (7)(क)(ख) (जन्म तारीख) :**

*(क) आयु के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेजों में से किसी एक की स्वःप्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है। प्रमुख दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना त्वरित रजिस्ट्रीकरण और सेवाओं के परिदान को सुनिश्चित करेगा।

(ख) यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को आयु के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करना चाहिए ; और उक्त दस्तावेज का नाम प्ररूप के भाग 'घोषणा' की मद 7(ii) और मद (iv) में उल्लिखित होना चाहिए। ऐसे मामलों में, आवेदक को सत्यापन के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर या किसी अन्य पदाभिहित ऑफिसर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

7. **मद (8)(वर्तमान साधारण निवास) :**

*(क) साधारण निवास के सबूत के रूप में आवेदक/माता-पिता/पति-पत्नी के नाम के किसी प्रमुख दस्तावेज की स्वःप्रमाणित प्रति के साथ पिन कोड सहित पूरा डाक पता उल्लिखित किया जाना चाहिए।

(ख) शेड/फुटपाथों पर निवास करने वाले गृहविहीन भारतीय नागरिकों और ऐसे सेक्स वर्कर, जिनके पास साधारण निवास का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, की दशा में आवश्यक मौका सत्यापन किया जाएगा, यदि वे नामांकन के लिए अन्यथा योग्य हों।

(ग) विद्यार्थी, जो नामांकन के लिए योग्य हो, या तो अपने माता-पिता या ऐसे हॉस्टल/मैस के स्थान पर, जहां वे साधारणतया निवास करते हैं, नामांकन करा सकते हैं।

8. ***घोषणा :** "घोषणा" भाग की सभी प्रविष्टियां सभी तरह से पूरी होनी चाहिए।

कृपया ध्यान दे कि घोषणा भाग में कोई मिथ्या कथन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा।"

11. उक्त नियमों के प्ररूप 6क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“प्ररूप 6ख

[नियम 26ख देखिए]

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचक नामावली अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या की सूचना का पत्र

मैं (निर्वाचक का नाम),
 (सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम) में नामांकित हूँ और मेरा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

है ।

मैं निर्वाचक नामावली में मेरी प्रविष्टि के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूँ :--

(समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाए)

(क) ☐ आधार सं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 या

(ख) ☐ मैं आधार सं० प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर :

निर्वाचक का नाम :

ई-मेल पता/मोबाइल सं० :

स्थान :

तारीख :”।

12. उक्त नियमों के प्ररूप 7 और प्ररूप 8 के स्थान पर क्रमशः, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“प्ररूप-7

(नियम 13 (2) और (26) देखें)

प्ररूप सं०.....

(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

भारत निर्वाचन आयोग

विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने/हटाने के प्रस्ताव के लिए आक्षेप हेतु मतदाता आवेदन प्ररूप

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,

सं. और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम सं. नाम-----

या

सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम@ सं. नाम-----

(@केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधान सभा नहीं है)

मैं विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रस्तावित नाम को सम्मिलित करने/हटाने के प्रस्ताव के लिए आक्षेप हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

(1) आवेदक का नाम

(2) ईपीआईसी सं. -----

स्वयं का मोबाइल संख्या

नातेदार का मोबाइल संख्या

(2) आवेदन/आक्षेप का विकल्प: (समुचित विकल्प पर सही का निशान लगाए) (कोई एक)

☐ (i) मैं वर्तमान नामावली में पहले से सम्मिलित नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम को निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से हटाने का अनुरोध करता हूँ। (किसी एक पर सही का निशान लगाएं)

☐ मृत्यु ☐ अवयस्क ☐ अनुपस्थित/स्थायी रूप से स्थानांतरित
☐ पहले से नामांकित ☐ भारतीय नागरिक नहीं है।

☐ (ii) मैं निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से वर्तमान नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। (किसी एक पर सही का निशान लगाएं)

☐ मृत्यु ☐ अवयस्क ☐ अनुपस्थित/स्थायी रूप से स्थानांतरित

☐ पहले से नामांकित ☐ भारतीय नागरिक नहीं है।

☐ (iii) मैं निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से निर्वाचक नामावली से अपने नाम को हटाने का अनुरोध करता हूँ (किसी एक पर सही का निशान लगाएं)

स्थायी रूप से स्थानांतरित

☐ पहले से नामांकित ☐ भारतीय नागरिक नहीं है।

(3) ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे जिसके संबंध में आक्षेप किया गया है, निम्नानुसार हैं :

नाम _____	उपनाम _____	ईपीआईसी सं. (यदि उपलब्ध हो) _____
मकान/भवन/अपार्टमेंट सं. _____		गली/क्षेत्र/स्थानीय/मोहल्ला/सड़क _____
नगर/ग्राम _____		डाक घर _____
पिन कोड _____		तहसील/तालुका/मंडल _____
जिला _____		राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र _____

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कि मुझे ज्ञात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से, दंडनीय है।

स्थान:.....

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.....

सुगम्यतात्मक अनुदेश: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंधों के आलोक में, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहुदिव्यांगता आदि वाले व्यक्ति की दशा में, दिव्यांगजन के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या उसके/उसकी विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर या उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपेक्षित होगा।

आवेदन की अभिस्वीकृति/रसीद

अभिस्वीकृति सं. _____ तारीख _____

श्री/श्रीमती/सुश्री _____ का प्ररूप 7 में आवेदन प्राप्त हुआ है [आवेदक, आवेदन की प्रास्थिति जांचने के लिए अभिस्वीकृति संख्या का संदर्भ ले सकता है]।

ईआरओ/ईआईसी/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

प्ररूप 7 आवेदन भरने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. साधारण अनुदेश :

(क) आवेदन, किसी निर्वाचन क्षेत्र की विद्यमान निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक द्वारा किया जा सकता है;

(ख) यह आवेदन किसी रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक के संबंध में कोई आक्षेप करने/किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जिसमें आवेदक स्वयं रजिस्ट्रीकृत है, की निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि के प्रस्तावित सम्मिलन के संबंध में आक्षेप करने या निर्वाचक नामावली से आवेदक के अपने नाम को हटाने के अनुरोध के लिए किया जा सकता है

2. मद संख्यांक 1 (आवेदक का नाम): आवेदक अपना नाम, ईपीआईसी संख्यांक और अपना/नातेदार (पिता/माता/पति/विधिक संरक्षक) की मोबाइल सं. उल्लिखित करें।

3. मद संख्यांक 2 (आक्षेप/नाम हटाने के आवेदन का विकल्प) : आवेदक को किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाना होगा जिसके लिए वह आवेदन करने का आशय रखता है। उसे नीचे उल्लिखित कारणों, जैसे मृत्यु के कारण, अवयस्क, अनुपस्थिति/स्थायी रूप से स्थानांतरण, उसी स्थान या किसी अन्य स्थान पर पहले से ही निर्वाचन नामावली में नामांकित है, भारतीय नागरिक नहीं है आदि, के किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाना होगा कि उसके अनुसार जिस व्यक्ति के विरुद्ध आक्षेप किया गया है, वह निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए क्यों अर्हित नहीं है। आक्षेप या नाम को हटाने के लिए दिए गए कारणों हेतु सबूत का भार आवेदक पर होता है।

4. **मद सं. 3 (ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे जिसके संबंध में आक्षेप किया गया है)** : आवेदक को ऐसे व्यक्ति का नाम, उपनाम, भाग सं., क्रम सं. और ईपीआईसी सं. भरनी होगी जिसके नाम को सम्मिलित करने हेतु आक्षेप किया गया है या जिसके नाम को हटाना इप्सित है। व्यक्ति के भाग सं. और क्रम सं. की www.nvsp.in या मतदाता हेल्पलाइन ऐप से खोज की जा सकती है।

5. **घोषणा** : आवेदक को "घोषणा" करनी होगी कि आवेदन में वर्णित तथ्य और विशिष्टियां उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। **कृपया यह नोट करें कि घोषणा के किसी भाग में किया गया कोई मिथ्या कथन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से, दंडनीय है।**

"प्ररूप-8

(नियम 13 (3) और (26) देखें)

प्ररूप सं0.....

(कार्यालय द्वारा भरी जाए)

भारत निर्वाचन आयोग

विद्यमान निर्वाचक नामावली/ईपीआईसी प्रतिस्थापन/दिव्यांगजन चिह्नांकित करने संबंधी प्रविष्टियों का सुधार/निवास स्थानांतरण हेतु मतदाता आवेदन प्ररूप

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,

सं. और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम सं. नाम _____
या

सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम@ सं. नाम _____

(@केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जहां विधान सभा नहीं है)

(I) आवेदक का नाम

ईपीआईसी सं. _____

आधार ब्यौरे : (कृपया समुचित बाक्स पर सही का निशान लगाएं)

(क) ☐ आधार संख्यांक

या

(ख) ☐ मैं आधार संख्यांक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास आधार संख्यांक नहीं है।

स्वयं का मोबाइल संख्या (या)

पिता/माता/ किसी अन्य नातेदार का मोबाइल संख्या, (यदि उपलब्ध हो) _____

स्वयं की ई-मेल आईडी (या) _____

पिता/माता/किसी अन्य नातेदार का मेल आईडी (यदि उपलब्ध हो) _____

(II) मैं निम्नलिखित हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूँ (निम्नलिखित में से किसी एक पर सही का निशान लगाएं)

1. ☐ निवास का स्थानांतरण (या)
2. ☐ विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार (या)
3. ☐ बिना सुधार के ईपीआईसी प्रतिस्थापन का मुद्दा और
4. ☐ दिव्यांगजन व्यक्तियों के रूप में चिह्नांकित करने हेतु अनुरोध

1. निवास स्थानांतरित करने हेतु आवेदन :

मैंने निवास स्थानांतरित कर लिया है और मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरा नाम पूर्व पते से हटाया जाए और मेरे नीचे उल्लिखित वर्तमान पते पर स्थानांतरित कर दिया जाए ।

मैं अनुरोध करता हूँ कि, मेरे पते में परिवर्तन के कारण मुझे एक प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाए । अतः, मैं अपना पुराना ईपीआईसी वापिस करता हूँ ।

वर्तमान मामूली निवास (पूर्ण पता)

भवन/मकान/अपार्टमेंट संख्या

नगर/ग्राम

पिन कोड/जिला.....

गली/क्षेत्र/स्थान/मोहल्ला/सड़क

डाकघर

तहसील/ताल्लुका/मंडल

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

पते के साक्ष्य की एक स्वतः अनुप्रमाणित प्रति या तो आवेदक के नाम या माता-पिता/पति-पत्नी/वयस्क बालक, मैं से किसी एक, यदि वह उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है (उनमें से कोई एक संलग्न करें)

मुख्य दस्तावेज

1. ☐ उस पते का (कम से कम एक वर्ष) जल/विद्युत/गैस कनेक्शन बिल
2. ☐ आधार कार्ड
3. ☐ राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित बैंक/डाकघर की वर्तमान पासबुक
4. ☐ भारतीय पासपोर्ट
5. ☐ राजस्व विभाग का भूमि स्वामिस्व रिकार्ड जिसमें किसान बही भी है ।
6. ☐ रजिस्ट्रीकृत भाड़ा पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में)

7. रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में)

कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(2) विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार करने हेतु आवेदन
कृपया निर्वाचक नामावली/ईपीआईसी में मेरे निम्नलिखित ब्यौरे का सुधार करें ।

(अधिकतम 4 प्रविष्टियों/विशिष्टियों का सुधार किया जा सकता है)

(कृपया नीचे समुचित बाक्स में सही का निशान लगाएं)

दावे के समर्थन में स्वतः अनुप्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य की प्रति संलग्न करें

1. ____ नाम 2. ____ लिंग 3. ____ जन्म तारीख/आयु 4. ____ नाते का प्रकार 5. ____ नातेदार का नाम 6. ____ पता 7. ____ मोबाइल संख्या 8. ____ फोटो	नवीनतम पासपोर्ट आकार का अहस्ताक्षरित रंगीन फोटो पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए, श्वेत पृष्ठभूमि सहित (4.5 सें.मी. X 3.5 सें.मी.) चिपकाने के लिए स्थान, (केवल तभी जब फोटो परिवर्तित किया जाए)।
---	---

उपरोक्त दावे के समर्थन में संलग्न किए गए दस्तावेज का नाम

मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे वैयक्तिक ब्यौरों में परिवर्तन के कारण मुझे प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाए ।
 अतः, मैं अपना पुराना ईपीआईसी वापिस करता हूँ।

3. बिना सुधार किए प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी करने हेतु आवेदन

मैं अनुरोध करता हूँ कि मुझे एक प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाए क्योंकि मेरा मूल ईपीआईसी निम्नानुसार है :-
 (समुचित बाक्स में सही का निशान लगाएं)

- ☐ खो गया
☐ नियंत्रण से परे कारण के कारण बाढ़, अग्नि, अन्य प्राकृतिक आपदा आदि के कारण नष्ट हो गया
☐ कट-फट गया

अतः, मैं अपने कटे-फटे/पुराने ईपीआईसी को वापस करता हूँ (या) मैंने खोए हुए ईपीआईसी के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर दी है और मैं पहले जारी किए गए ईपीआईसी को वापिस करने का वचन देता हूँ यदि वह मुझे बाद में किसी स्तर पर प्राप्त होता है ।

4. दिव्यांगजन के रूप में चिह्नंकित करने हेतु आवेदन

दिव्यांगता का प्रवर्ग (दिव्यांगता की प्रवर्ग के लिए समुचित बाक्स में सही का निशान लगाएं)

- ☐ लोकोमोटिव
☐ दृष्टिक
☐ मूक-बधिर

यदि कोई अन्य है (वर्णन करें).....

घोषणा:

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कि मुझे ज्ञात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से, दंडनीय है।

स्थान _____

तारीख _____

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान _____

सुगम्यतात्मक अनुदेश: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंधों के आलोक में, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहुदिव्यांगता आदि की दशा में, दिव्यांगजन के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या उसके/उसकी विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर या उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपेक्षित होगा।

प्रमुख दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति का प्रस्तुत किया जाना सेवाओं के त्वरित परिदान को सुनिश्चित करेगा।

अभिस्वीकृति/रसीद

अभिस्वीकृति सं. _____

तारीख _____

श्री/श्रीमती/सुश्री _____ का प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त हुआ है

ईआरओ/ईआईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

आवेदन को भरने के लिए दिशानिर्देश

प्ररूप-8

1. सामान्य अनुदेश :-

(क) निवास स्थान बदलने के लिए, या प्रविष्टियों में सुधार के लिए या प्रतिस्थापित ईपीआईसी को जारी करने के लिए या पीडब्लूडी के रूप में चिह्नित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत/अभ्यावेशित निर्वाचक द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

(ख) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर (ईआरओ) द्वारा आवास बदलने, प्रविष्टियों के सुधार करने और बिना संशोधन किए प्रतिस्थापित ईपीआईसी को जारी करने के लिए आवेदन की मंजूरी के मामले में आवेदक को एक नया प्रतिस्थापित ईपीआईसी जारी किया जाएगा और उसे अपने पुराने ईपीआईसी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को तत्काल वापस करना होगा।

2. मद सं.1 (आवेदक का नाम)- आवेदक अपना नाम, ईपीआईसी सं., आधार संख्या, मोबाइल नंबर और स्वयं या इसमें उल्लिखित संबंधी की ई-मेल आईडी वर्णित करेगा। प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या देनी चाहिए। यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है तो उसका उल्लेख मद 1(ख) के बाक्स में किया जा सकता है।

3. मद सं. 2 (आवेदन के लिए विकल्प)- आवेदक, आवेदन के किसी एक विकल्प पर टिक करेगा और आवेदन के सुसंगत खंड में व्यौरों को भरेगा। अन्य सभी खंड, जो सुसंगत नहीं हैं उन्हें काट दिया जाना चाहिए।

4. निवास स्थान बदलने के लिए आवेदन (क) आवेदन उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को करना होगा जिसमें आवेदक का नया पता स्थित है। (ख) आवेदक को अपने नए पते का उल्लेख करना होगा, जहां वह स्थानांतरित हो गया है और वर्तमान में रह रहा है और अपने स्वयं के नाम पर या अपने माता-पिता/पति-पत्नी के नाम पर पते के प्रमाण के रूप में किसी एक मूल दस्तावेज की एक स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा। वह मूल दस्तावेज पर टिक करेगा जो उसने पते के प्रमाण के रूप में दिया है। मूल दस्तावेज सेवाओं का त्वरित परिदान सुनिश्चित करेगा। यदि उसके पास कोई मूल दस्तावेज नहीं है, तो उसे रिक्त स्थान में पते के प्रमाण के लिए दिए गए अन्य दस्तावेज के नाम का उल्लेख करना होगा।

5. विद्यमान नामावली की प्रविष्टियों में सुधार के लिए आवेदन (क) यदि कोई आवेदक निर्वाचक नामावली में उससे संबंधित किसी मौजूदा प्रविष्टि को सही करना चाहता है तो उसे उपयुक्त बाक्स में टिक करना होगा और अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज संलग्न करना होगा। दिए गए खाली स्थान में दस्तावेज का नाम अवश्य उल्लिखित करना चाहिए।

(ख) यदि आवेदक अपनी फोटो बदलना चाहता है, तो हाल का एक अच्छी गुणवत्ता वाला पासपोर्ट आकार (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी) का अहस्ताक्षरित रंगीन फोटो सफेद पृष्ठभूमि के साथ इसके लिए बने बाक्स में चिपकाना होगा।

6. बिना सुधार के ईपीआईसी को प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदन - ईपीआईसी को प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदक को उपयुक्त बाक्स में एक टिक लगाना होगा। वह अपने विकृत/पुराने ईपीआईसी को वापस करेगा या खोए हुए ईपीआईसी के लिए एफआईआर की कापी प्रस्तुत करेगा।

घोषणा - आवेदक को घोषणा करना होगी कि आवेदन में उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे/मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

कृपया ध्यान दें कि घोषणात्मक भाग में कोई गलत कथन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय अपराध होगा जिसके लिए एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

13. उक्त नियमों के प्ररूप 8क और 8ख का लोप किया जाएगा

14. उक्त नियमों के प्ररूप 11 और 11क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूपों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्रारूप 11

[नियम 15 और 16 देखें]

आक्षेपों की सूची /प्रविष्टियों के सुधार के लिए आवेदन/इपिक का प्रतिस्थापन/प्ररूप 8 में स्वीकार्य पीडब्ल्यूडी का बनाना

अभिहित किए गए स्थान की पहचान (जहां आवेदन प्राप्त किए गए हैं)		निर्वाचन क्षेत्र (सभा/संसदीय [£] निर्वाचन क्षेत्र)		पुनरीक्षण पहचान			
1. सूची संख्या [@]		2. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में अंतर्निहित)		तारीख से		तारीख तक	
				/...../.....		/...../.....	
3. सुनवाई का स्थान [*]							
आवेदन की क्रम संख्या [§]	प्राप्ति की तारीख	विरोध करने वाले /आवेदन करने वाले निर्वाचक का नाम	विरोध करने का कारण/आवेदन			सुनवाई की तारीख [*]	सुनवाई का समय [*]
			क्या प्रविष्टियों में सुधार किया गया है (हां/नहीं)	क्या ईपी आईसी का प्रतिस्थापन किया गया है (हां/नहीं)	क्या पीडब्ल्यूडी चिन्हित किए गए हैं या नहीं		
1	2	3	4	5	6	7(क)	7(ख)
£ संघ राज्यक्षेत्र की दशा में जिसमें कोई विधान सभा नहीं है । @ इस अभिहित स्थान के लिए इस पुनरीक्षण के लिए *निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा यथा नियत की गई सुनवाई का स्थान, समय और तारीख §प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए प्रत्येक पुनरीक्षण को बनाए रखने के लिए रनिंग क्रम संख्या			नियम 15 (ख) के अधीन अभिहित स्थान पर प्रदर्शन की तारीख			नियम 16(ख) के अधीन निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय पर प्रदर्शन की तारीख	

प्ररूप 11क

[नियम 15 और 16 देखें]

प्ररूप 8 में प्राप्त किए गए निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पता बदलने के लिए आवेदनों की सूची

अभिहित किए गए स्थान की पहचान (जहां आवेदन प्राप्त किया गया है)	निर्वाचन क्षेत्र (सभा/संसदीय [£] निर्वाचन क्षेत्र)	पुनरीक्षण पहचान	
1. सूची संख्या [@]	2. आवेदनों के प्राप्ति की अवधि (इस सूची में अंतर्निहित)	तारीख से	तारीख तक
		/...../.....	/...../.....
3. सुनवाई का स्थान [*]			
आवेदन की क्रम संख्या [§]	प्राप्ति की तारीख	विरोध करने वाले/ आवेदन करने वाले निर्वाचक का नाम	नया पता (सामान्य निवास का वर्तमान पता)
सुनवाई की तारीख/ समय			
1	2	3	4
[£] संघ राज्यक्षेत्र की दशा में जिसमें कोई विधान सभा नहीं है। [@] इस अभिहित स्थान के लिए इस पुनरीक्षण के लिए [*] निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा यथा नियत की गई सुनवाई का स्थान, समय और तारीख [§] प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए प्रत्येक पुनरीक्षण को बनाए रखने के लिए रनिंग क्रम संख्या		नियम 15(1) (ख) के अधीन अभिहित स्थान पर प्रदर्शन की तारीख	नियम 16(ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के कार्यालय पर प्रदर्शन की तारीख

प्ररूप 11ख

[नियम 15 और 16 देखें]

प्ररूप 8 में प्राप्त किए गए निर्वाचन क्षेत्र के बाहर पता बदलने के लिए आवेदनों की सूची

अभिहित किया गया स्थान की पहचान (जहां आवेदन प्राप्त किए गए हैं)	निर्वाचन क्षेत्र (सभा/संसदीय [£] निर्वाचन क्षेत्र)	पुनरीक्षण पहचान		
1. सूची संख्या [@]	2. आवेदन की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में अंतर्निहित)	तारीख से/...../.....	तारीख तक/...../.....	
3. सुनवाई का स्थान [*]				
आवेदन की क्रम संख्या [§]	प्राप्ति की तारीख	विरोध करने वाले/आवेदन करने वाले निर्वाचक का नाम	नया पता (सामान्य निवास का वर्तमान पता)	सुनवाई की तारीख/समय [*]
1	2	3	4	5
[£] संघ राज्य क्षेत्र की दशा में जिसमें कोई विधान सभा नहीं है। [@] इस अभिहित स्थान के लिए इस पुनरीक्षण के लिए [*] निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा यथा नियत की गई सुनवाई का स्थान, समय और तारीख [§] प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए प्रत्येक पुनरीक्षण को बनाए रखने के लिए रनिंग क्रम संख्या		नियम 15(1) (ख) के अधीन अभिहित स्थान पर प्रदर्शन की तारीख		नियम 16(ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के कार्यालय पर प्रदर्शन की तारीख

15. उक्त नियमों के प्ररूप 18 और 19 के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे :-



“प्ररूप-18

(नियम 31 देखें)

भारत निर्वाचन आयोग

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में नाम के समावेश के लिए दावा

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,
_____ (स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र.

सफेद पृष्ठभूमि के साथ
पासपोर्ट आकार (4.5 सेमी.
x 3.5 सेमी) का रंगीन
अहस्ताक्षरित, हाल ही के
फोटो के लिए स्थान जिसमें
पूरे चेहरे के सामने का भाग
दिखा रहा हो

श्रीमान,
मैं प्रार्थना करता/करती हूँ कि मेरा नाम (स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

1. विशिष्टियाँ:-

पूरा नाम

 लिंग

पिता/माता/पति का (पूरा नाम)

अर्हता _____

व्यवसाय _____

घर का पता (सामान्य निवास का स्थान)

मकान/भवन/अपार्टमेंट नं.	गली/मौहल्ला
शहर/गांव	पोस्ट ऑफिस
पुलिस स्टेशन/तहसील/तालुक/मौजा	
जिला	राज्य

आयु

 वर्ष

 महीना जन्म की तारीख

अक्षमता(यदि कोई हो):- (उचित बाक्स में टिक करें) (वैकल्पिक)

दृष्टि क्षीणता

 वाणी और श्रवण अक्षमता

 चलन अक्षमता

 अन्य

क्या किसी सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं _____

यदि हां तो निम्नलिखित विवरण दें---

(a) सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम _____

(b) भाग/मतदान केन्द्र सं. (यदि ज्ञात है) _____

(c) जन्म की तारीख

(d) ईपीआसी संख्या (यदि कोई है) _____

आधार विवरण:- (कृपया उचित बाक्स में टिक करें)

(क)

 आधार संख्या

 or

(ख)

 मैं आधार संख्या देने में अक्षम हूँ क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है

संपर्क संख्या:-

मोबाइल नं. (वैकल्पिक)

लैंडलाइन

ई-मेल आईडी (यदि कोई हो) _____

2. *मैंने.....विश्वविद्यालय का स्नातक हूँ और सनमें डिग्री/डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की है।

या

*मैंडिप्लोमा/प्रमाणपत्र रखता हूँ जिसकी अर्हता स्नातक के समकक्ष है और वर्ष में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र के लिए भारत में विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की है।

3. स्नातक होने/उपरोक्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र धारण करने के समर्थन में, मैं इसके साथ_____ प्रस्तुत करता/करती हूँ

4. *इस या किसी अन्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है।

या

**नीचे दिए गए पते पर.....स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किया गया है, और मैं निवेदन करता/करती हूँ कि वह उस नामावली से हटा दिया जाए

5. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं भारत का/की नागरिक हूँ और ऊपर दी गई सब विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं

स्थान _____

तारीख _____

दावेदार के हस्ताक्षर

टिप्पण : जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय है

*जो पैरा लागू न हो उसे काट दीजिए

**जो शब्द समुचित न हों उन्हें काट दीजिए

.....(छिद्रण).....

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....का/की निवासी है, के प्ररूप 18 में आवेदन को,

(क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी के नाम को भाग सं0 में क्रम सं0.....पर रजिस्टर कर दिया गया है

(ख) निम्नलिखित कारण से अस्वीकार कर दिया गया है

तारीख _____

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

(पता) _____

.....छिद्रण.....

	दृष्टि क्षीणता		वाक् और श्रवण अक्षमता		चलन अक्षमता		अन्य
--	----------------	--	--------------------------	--	-------------	--	------

क्या किसी विधान सभा क्षेत्र के लिए निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है _____

यदि हाँ, तो निम्नलिखित का वर्णन करें--

(क) सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम _____

(ख) भाग / मतदान केंद्र संख्या (यदि ज्ञात हो) _____

(ग) जन्म तारीख

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(घ) ईपीआईसी नंबर (यदि कोई हो) _____

आधार विवरण:- (कृपया उपयुक्त बॉक्स में टिक करें)

(क) आधार संख्या

या

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ख) _____ मैं अपना आधार नंबर प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है
संपर्क संख्या

मोबाईल संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 (वैकल्पिक)

लैंड लाइन

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ई-मेल आईडी (यदि कोई हो) _____

2. पिछले छह वर्षों के दौरान, मैं तीन वर्षों से अधिक की कुल समयावधि के लिए शिक्षा कार्य में संलग्न हूँ-

शिक्षण संस्था का नाम	(तारीख) से	(तारीख) तक	अवधि
1.			
2.			
3.			
4.			

उपरोक्त के समर्थन में, मैं इसके साथ _____ प्रस्तुत करता/करती हूँ

3 *इस या किसी अन्य शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है

या

*नीचे दिए गए पते पर.....शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किया गया है, और मैं निवेदन करता/करती हूँ कि वह उस नामावली से हटा दिया जाए:--

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं भारत का/की नागरिक हूँ और ऊपर दी गई सब विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं

स्थान _____

तारीख _____

दावेदार के हस्ताक्षर

टिप्पण : जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय है

*जो पैरा लागू न हो उसे काट दीजिए

.....छिद्रण.....

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....का/की निवासी है, के प्ररूप 19 में आवेदन को,--

(क) स्वीकार कर लिया गया है और भाग सं0 में क्रम सं0.....पर रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है

(ख) निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार कर दिया गया _____

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

.....

.....

(पता).....]

तारीख.....

.....छिद्रण.....

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....का/की निवासी है, से प्ररूप 18 में आवेदन प्राप्त हुआ

तारीख.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

(पता)_____

*आवेदक द्वारा भरा जाए

[फा. सं. एच-11019/4/2019-विधा.II]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना संख्या का.आ. 2750(अ), तारीख 10 नवंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और नियमों का अंतिम संशोधन का.आ. 2968(अ), तारीख 16 सितम्बर, 2016 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2022

S.O. 2802(E).—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government, after consulting the Election Commission of India, hereby makes the following rules further to amend the Registration of Electors Rules, 1960, namely:—

1.(1) These rules may be called the Registration of Electors (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the 1st day of August, 2022.

2. In the Registration of Electors Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5, in sub-rules (2) and (3), for the words “his wife” at both the places where they occur, the words “his or her spouse” shall be substituted.

3. For rule 13 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

“**13. Form for claims and objections.**— (1) Every claim for inclusion of name in the roll as new elector shall be in Form 6 and signed by the applicant.

(2) Every objection to the proposed inclusion of name or application for deletion of name in existing roll shall be in Form 7 and preferred by a person whose name is in such roll.

(3) Every objection to a particular or particulars in any entry in the roll or application for shifting of residence within the constituency or outside the constituency or application for correction or updation of entries shall be in Form 8 and shall be preferred by the person to whom that entry relates.”.

4. In rule 14 of the said rules,—

(i) in the opening portion, for the words, “for correction of particulars or transposition of entries”, the words “for correction of entries in existing electoral roll or application for shifting of residence within the constituency or outside the constituency” shall be substituted;

(ii) in clause (a), after the words “the registration officer”, the words, “of the constituency in which the applicant is ordinarily residing” shall be inserted.

5. In rule 15 of the said rules,—

(i) in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) maintain in duplicate a list of claims in Form 9, a list of objections to the inclusion of names in Form 10, a list of objections to entries in the existing electoral roll or application for corrections or updation of entries in Form 11 and a list of applications for shifting of residence within the constituency in Form 11A and a list of application for shifting of residence outside the constituency in Form 11B; and”;

(ii) in sub-rule (2), for the words “particulars or transposition of entries”, the words “entries in existing electoral roll or application for correction or updation of entries or application for shifting of residence within the constituency or outside the constituency” shall be substituted.

6. In rules 16 of the said rules, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) maintain in duplicate the five lists in Forms 9, 10, 11, 11A and 11B, entering thereon the particulars of every claim or objection or application for correction of entries in existing electoral roll or application for correction or updation of entries or application for shifting of residence within the constituency or outside the constituency as and when it is received by him whether directly under rule 14 or on being forwarded under rule 15; and”.

7. In rule 26 of the said rules,—

(i) in sub-rule (1), for the figures, letters and word “6, 6A, 7, 8, 8A and 8B”, the figures, letter and word “6, 6A, 7 and 8” shall be substituted;

(ii) for sub-rule (1A), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1A) Every such application as is referred to in sub-rule (1), with reference to qualifying dates, that is to say the 1st day of January, the 1st day of April, the 1st day of July and the 1st day of October of the year, shall be presented to the registration officer in such manner as the Election Commission may direct.”.

8. After rule 26 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:—

“26A. Merger and integration of list of amendments.— The list of amendments prepared with reference to the qualifying dates as specified in sub-rule (1A), shall be merged and integrated with the last finally published roll and published as draft roll under rule 10, before every election and bye-election and shall be put in public domain with reference to the qualifying date, proximate to the said election, as the Election Commission may direct.

26B. Special provision for providing Aadhaar number by existing electors.— Every person whose name is listed in the roll may intimate his Aadhaar number to the registration officer in Form 6B in accordance with sub-section (5) of section 23 of the Act.”.

9. For Forms 1, 2, 2A and 3 to the said rules, the following Forms shall, respectively, be substituted, namely:—

"Form- 1" (See rule 7) The Registration of Electors Rules, 1960 Statement as to place of Ordinary Residence by a Person holding a Declared Office		SPACE FOR PASTING ONE RECENT UNSIGNED PASSPORT SIZE COLOR PHOTOGRAPH (4.5 CM X 3.5 CM) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITH WHITE BACKGROUND																				
Personal Details																						
Full Name																						
Relation Name																						
Relation Type	☐ Father ☐ Mother ☐ Husband ☐ Wife ☐ Others																					
Age	☐ Years ☐ Month Date of Birth <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>d</td><td>d</td><td>/</td><td>m</td><td>m</td><td>/</td><td>y</td><td>y</td><td>y</td><td>y</td> </tr> </table>		d	d	/	m	m	/	y	y	y	y										
d	d	/	m	m	/	y	y	y	y													
Gender	☐ Male ☐ Female																					
Office held																						
EPIC No. (If issued)																						
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)																						
(a) ☐ Aadhaar Number <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> or																						
(b) ☐ I am not able to furnish my Aadhaar Number because I don't have Aadhaar Number																						
Mobile No. (optional)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																					
Email Id (optional)																						
I hereby declare that I am a citizen of India and that but for my holding the above-mentioned office, I would have been ordinarily resident at:-																						
House/Building/Apartment No.		Street/Mohalla																				
Locality		Town/Village																				
Post Office		Police Station																				
Tehsil/Taluqa/Mandal		PIN Code																				
District		State/UT																				
Assembly Constituency _____																						
I further declare that my spouse (Husband/Wife) Shri./Smt. _____																						
Age ☐ Years ☐ Months Date of Birth <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>d</td><td>d</td><td>/</td><td>m</td><td>m</td><td>/</td><td>y</td><td>y</td><td>y</td><td>y</td> </tr> </table>			d	d	/	m	m	/	y	y	y	y										
d	d	/	m	m	/	y	y	y	y													
ordinarily resides with me and is a citizen of India.																						
I, further, declare that I *and my spouse have neither got *ourselves/myself already registered nor have applied for such registration as ordinary electors in the electoral roll of the place where I am presently posted and residing or any other constituency.																						
I also declare that I am aware of the law that prohibits getting registered as an elector at more than one place either in the same constituency or in different constituencies and if my name *or my spouse's name so appears at different places, the same may be deleted from all such places except from the electoral roll of my native place for which I have made the statement.																						
Date: _____																						
		(Signature) _____																				
(For use in the Election Office)																						
Statement received on the _____ 20 _____																						
Registered in the electoral roll for the _____ Assembly Constituency																						
No. _____ Part No. _____ at S. No. _____																						
Date: _____ Electoral Registration Officer _____																						
* Strike off if not applicable																						

Form- 2 (See rule 7) The Registration of Electors Rules, 1960 Statement as to place of Ordinary Residence by member of the Armed Forces		SPACE FOR PASTING ONE RECENT UNSIGNED PASSPORT SIZE COLOR PHOTOGRAPH (4.5 CM X 3.5 CM) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITH WHITE BACKGROUND
Personal Details		
Full Name		
Relation Name		
Relation Type	☐ Father ☐ Mother ☐ Husband ☐ Wife ☐ Other	
Age	☐ Years ☐ Month Date of Birth d d / m m / y y y y	
Gender	☐ Male ☐ Female	
EPIC No. (If issued)		
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)		
(a) ☐ Aadhaar Number or		
(b) ☐ I am not able to furnish my Aadhaar Number because I don't have Aadhaar Number		
Mobile No. (optional)		
Email Id (optional)		
I hereby declare that I am a citizen of India and that but for my service in Armed Forces I would have been ordinarily resident at:-		
House/Building/Apartment No.		Street/Mohalla
Locality		Town/Village
Post Office		Police Station
Tehsil/Taluqa/Mandal		PIN Code
District		State/UT
Assembly Constituency		
Service Details		
Service/Buckle No.		
Rank		
Name of Armed Force		
Service/Corps/Regiment		
Name and Address of Record Office		
I further declare that my spouse (Husband/Wife) Shri./Smt.		
Age ☐ Years ☐ Months Date of Birth d d / m m / y y y y		
ordinarily resides with me and is a citizen of India.		
I, further, declare that I *and my spouse have neither got *ourselves/myself already registered nor have applied for such registration as ordinary electors in the general part of the electoral roll of the place where I am presently posted and residing or any other constituency.		
I also declare that I am aware of the law that prohibits getting registered as an elector at more than one place either in the same constituency or in different constituencies and if my name *or my spouse's name so appears at different places, the same may be deleted from all such places except from the last part of the electoral roll of my native place for which I have made the statement.		
Date:		
(Signature)		
Record Office/Commandant's Office		Verified and found Correct
Folio No.		(Signature)
Place		(Designation)
Date		Officer-in-Charge, Records.
(For use in the Election Office)		
Statement received on the _____ 20 _____		
Registered in the electoral roll for the _____ Assembly Constituency		
No. _____	Service Voter's Part, at S.No. _____	
Date: _____		
Electoral Registration Officer		
* Strike off if not applicable		

Form- 2A (See rule 7) The Registration of Electors Rules, 1960 Statement as to place of Ordinary Residence by a member of the Armed police force of a State, who is serving outside that State		SPACE FOR PASTING ONE RECENT UNSIGNED PASSPORT SIZE COLOR PHOTOGRAPH (4.5 CM X 3.5 CM) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITH WHITE BACKGROUND
Personal Details		
Full Name		
Relation Name		
Relation Type	☐ Father ☐ Mother ☐ Husband ☐ Wife ☐ Others	
Age	☐ Years ☐ Month Date of Birth d d / m m / y y y y	
Gender	☐ Male ☐ Female	
EPIC No. (If issued)		
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)		
(a) ☐ Aadhaar Number or (b) ☐ I am not able to furnish my Aadhaar Number because I don't have Aadhaar Number		
Mobile No. (optional)		
Email Id (optional)		
I hereby declare that I am a citizen of India and that but for my service outside the state in armed police forces mentioned below, I would have been ordinarily resident at:-		
House/Building/Apartment No. Locality Post Office Tehsil/Taluqa District	Street/ Mohalla Town/Village Police Station Pin Code State/UT	
Assembly Constituency		
Service Details		
Service /Buckle No.		
Rank		
Name of Armed police Force		
Name and Address of office of the Commandant		
I further declare that my spouse (Husband/Wife) Shri./Smt.		
Age ☐ Years ☐ Months Date of Birth d d / m m / y y y y		
ordinarily resides with me and is a citizen of India.		
I, further, declare that I *and my spouse have neither got *ourselves/myself already registered nor have applied for such registration as ordinary electors in the general part of electoral roll of the place where I am presently posted and residing or any other constituency.		
I also declare that I am aware of the law that prohibits getting registered as an elector at more than one place either in the same constituency or in different constituencies and if my name *or my spouse's name so appears at different places, the same may be deleted from all such places except from the last part of the electoral roll of my native place for which I have made the statement.		
Date:		
(Signature)		
Commandant's Office Folio No. Place Date	Verified and found Correct (Signature) (Designation) Commandant	
(For use in the Election Office)		
Statement received on the _____ 20 _____ Registered in the electoral roll for the _____ Assembly Constituency No. _____ Service Voter's Part, at S.No. _____		
Date: _____ Electoral Registration Officer _____		
* Strike off if not applicable		

Form- 3 (See rule 7) The Registration of Electors Rules, 1960		SPACE FOR PASTING ONE RECENT UNSIGNED PASSPORT SIZE COLOR PHOTOGRAPH (4.5 CM X 3.5 CM) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITH WHITE BACKGROUND										
Statement as to place of Ordinary Residence by a Person employed under the Government of India in a post outside India												
Personal Details												
Full Name												
Relation Name												
Relation Type	☐ Father ☐ Mother ☐ Husband ☐ Wife ☐ Other											
Age	☐ Years ☐ Month Date of Birth <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; font-size: x-small;"> <tr><td>d</td><td>d</td><td>/</td><td>m</td><td>m</td><td>/</td><td>y</td><td>y</td><td>y</td><td>y</td></tr> </table>		d	d	/	m	m	/	y	y	y	y
d	d	/	m	m	/	y	y	y	y			
Gender	☐ Male ☐ Female											
EPIC No. (If issued)												
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)												
(a) ☐ Aadhaar Number <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; font-size: x-small;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> or												
(b) ☐ I am not able to furnish my Aadhaar Number because I don't have Aadhaar Number												
Mobile No. (optional)	<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; font-size: x-small;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											
Email Id (optional)												
I hereby declare that I am a citizen of India and that but for my being employed under Government of India in the below-mentioned post, I would have been ordinarily resident at (full postal address):-												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>House/Building/Apartment No.</td><td>Street/Mohalla</td></tr> <tr><td>Locality</td><td>Town/Village</td></tr> <tr><td>Post Office</td><td>Police Station</td></tr> <tr><td>Tehsil/Taluqa/Mandal</td><td>PIN Code</td></tr> <tr><td>District</td><td>State/UT</td></tr> </table>	House/Building/Apartment No.	Street/Mohalla	Locality	Town/Village	Post Office	Police Station	Tehsil/Taluqa/Mandal	PIN Code	District	State/UT		
House/Building/Apartment No.	Street/Mohalla											
Locality	Town/Village											
Post Office	Police Station											
Tehsil/Taluqa/Mandal	PIN Code											
District	State/UT											
Assembly Constituency _____												
Service Details												
Unique Id No. _____												
Description of post held outside India _____												
Address of Head of Office _____												
I further declare that my spouse (Husband/Wife) Shri./Smt. _____												
Age ☐ Years ☐ Months Date of Birth <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; font-size: x-small;"> <tr><td>d</td><td>d</td><td>/</td><td>m</td><td>m</td><td>/</td><td>y</td><td>y</td><td>y</td><td>y</td></tr> </table>			d	d	/	m	m	/	y	y	y	y
d	d	/	m	m	/	y	y	y	y			
ordinarily resides with me and is a citizen of India.												
I, further, declare that I *and my spouse have neither got *ourselves/myself already registered nor have applied for such registration as ordinary electors in the general part of electoral roll of the place where I am presently posted and residing or any other constituency.												
I also declare that I am aware of the law that prohibits getting registered as an elector at more than one place either in the same constituency or in different constituencies and if my name *or my spouse's name so appears at different places, the same may be deleted from all such places except from the last part of the electoral roll of my native place for which I have made the statement.												
Date: _____												
(Signature)												
Verified and found Correct												
(Signature) _____												
(Designation of the Head of Office) _____												
(For use in the Election Office)												
Statement received on the _____ 20 _____												
Registered in the electoral roll for the _____ Constituency												
No. _____ Service Voter's Part, at S.No. _____												
Date: _____ Electoral Registration Officer _____ "												
* Strike off if not applicable												

10. For Form 6 to the said rules, the following Form shall be substituted, namely:—

 "Form-6" [See rules 13(1) and 26] ELECTION COMMISSION OF INDIA Application Form for New Voters FORM No. _____ <i>'To be filled by office'</i>									
To, The Electoral Registration Officer, No. & Name of Assembly Constituency No. Name Or No. & Name of Parliamentary Constituency@ No. Name (@ only for Union Territories not having Legislative Assembly) I submit application for inclusion of my name in the electoral roll for the above constituency.									
(1)(a) Name (In Official Language of State) First Name followed by Middle Name Surname (if any) (1)(b) Name (In English in BLOCK LETTERS) First Name followed by Middle Name Surname (if any) <u>Disclaimer: If name not filled in English, it will be transliterated by software.</u>									
* (2)(a) Name and Surname (in official language of State) of any one of the relatives:- ☐ Father Or ☐ Mother Or ☐ Husband Or ☐ Wife Or ☐ Legal Guardian in case of orphan/Guru in case of Third Gender * (2)(b) Name and Surname (In English in BLOCK LETTERS) of the relative mentioned above 									
(3) Mobile No. of Self (if available) (or) Of relative mentioned at Item No. 2 (4) Email ID of Self (If available) (or) _____ Of relative mentioned at Item No. 2									
(5) Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box) (a) ☐ Aadhaar Number or (b) ☐ I am not able to furnish my Aadhaar Number because I don't have Aadhaar Number.									
(6) Gender ☐ Male ☐ Female ☐ Third Gender									
(7) (a) Date of Birth (b) Self attested copy of document supporting age proof attached (anyone of the following) (i) <u>Document for Proof of Date of Birth</u> ^:- (Any one of these) 1. ☐ Birth certificate issued by Competent Local Body/Municipal Authority/Registrar of Births & Deaths 2. ☐ Aadhaar Card 3. ☐ PAN Card 4. ☐ Driving License 5. ☐ Certificates of Class X or Class XII issued by CBSE/ICSE/ State 6. ☐ Indian Passport Education Boards, if it contains Date of Birth (ii) <u>Any Other Document for Proof of Date of Birth:-</u> (If none of the above documents is available) (Pl. Specify)									
(8) (a) Present Ordinary Residence (Full Address)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">House/Building/Apartment No.</td> <td style="width: 50%;">Street/Area/Locality/ Mohalla/Road</td> </tr> <tr> <td>Town/Village</td> <td>Post Office</td> </tr> <tr> <td>PIN Code</td> <td>Tehsil/Taluqa/Mandal</td> </tr> <tr> <td>District</td> <td>State/UT</td> </tr> </table>	House/Building/Apartment No.	Street/Area/Locality/ Mohalla/Road	Town/Village	Post Office	PIN Code	Tehsil/Taluqa/Mandal	District	State/UT
House/Building/Apartment No.	Street/Area/Locality/ Mohalla/Road								
Town/Village	Post Office								
PIN Code	Tehsil/Taluqa/Mandal								
District	State/UT								

 SPACE FOR PASTING
 ONE RECENT
 UNSIGNED PASSPORT
 SIZE COLOR
 PHOTOGRAPH (4.5 CM
 X 3.5 CM) SHOWING
 FRONTAL VIEW OF
 FULL FACE WITH
 WHITE BACKGROUND

(b) Self-attested copy of address proof either in the name of applicant or any one of parents/spouse/adult child, if already enrolled as elector at the same address (*Attach anyone of them*)

(i) Document for proof of residence ^:-

(Any one of these)

- | | |
|---|---|
| 1. ☐ Water/Electricity/Gas connection Bill for that address (atleast 1 year) | 2. ☐ Aadhaar Card |
| 3. ☐ Current passbook of Nationalized/Scheduled Bank/Post Office | 4. ☐ Indian Passport |
| 5. ☐ Revenue Department's Land Owning records including Kisan Bahi | |
| 6. ☐ Registered Rent Lease Deed (In case of tenant) | 7. ☐ Registered Sale Deed (In case of own house) |

(ii) Any Other document for Proof of residence: -

(If none of the above documents is available) (Pl. Specify) # _____

(9) Category of disability, if any(Optional) ☐ Locomotive ☐ Visual ☐ Deaf & Dumb

If any other (Give description) _____

Percentage of disability: ☐ %, Certificate attached (Tick the appropriate box) ☐ Yes ☐ No

(10) The details of my family member already included in the electoral roll at current address with whom I currently reside are as under:

Name of family member: _____ Relationship with applicant: _____

His/her EPIC no.: _____

DECLARATION

I HEREBY DECLARE that to the best of my knowledge and belief-

(i) I am a citizen of India and place of my birth is:- Village/Town _____

District _____ State/UT _____

(ii) I am ordinarily a resident at the address mentioned at Sr. No. 8(a) in Form 6 since _____ (mention month and year)

(iii) I am applying for inclusion in Electoral Roll for the first time and my name is not included in any Assembly Constituency/ Parliamentary Constituency.

(iv) I don't possess any of the documents mentioned at (7)(b)(i) above for proof of Date of Birth/Age. Therefore, I have enclosed _____ (Name of the document) in support of age proof (Strike off, if not applicable).

(v) I am aware that making the above statement or declaration in relation to this application which is false and which I know or believe to be false or do not believe to be true, is punishable under Section 31 of Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

Date: _____

Place: _____ Signature of Applicant/Left Hand Thumb Impression

Accessibility Instructions:-In the light of provisions of Rights of Persons with Disabilities Act 2016 and Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities etc., signature or left hand thumb impression of person with disability, or signature or left hand thumb impression of his/her legal guardian will be required.

Note-

- | | |
|---|--|
| * | In case of a married female applicant, name of Husband may preferably be mentioned. |
| ^ | Submission of self-attested copy of mentioned document will ensure speedy delivery of services. |
| # | In case none of the mentioned documents is available, field verification is must. As for example, category like homeless Indian citizens who are otherwise eligible to become electors but do not possess any documentary proof of ordinary residence, Electoral Registration Officer shall designate an officer for field verification. |

✂ Acknowledgement/Receipt for application ✂

Acknowledgment Number _____ Date _____

Received the application in Form 6 of Shri/Smt./Ms. _____

[Applicant can refer the Acknowledgement No. to check the status of application.]

Name/Signature of ERO/AERO/BLO

To be appended to Form-6

(The fields marked with * are mandatory)

GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION**FORM-6****1. General Instructions:-**

(a) The application will be addressed to the Electoral Registration Officer (ERO) of the Assembly Constituency (AC)/Parliamentary Constituency (PC) in which the applicant is ordinarily residing. In case the applicant does not know or has any doubt about number and name of Assembly Constituency / Parliamentary Constituency, assistance may be extended by the Electoral Registration Officer and the application will not be rejected on the ground of not mentioning of number and name of Assembly Constituency / Parliamentary Constituency.

(b) The applicant can fill entries of the application either in English or official language of the state and this will not be a ground for rejection of application.

(c) A service personnel, applying for enrolment as general elector in the electoral roll at his place of posting at a peace station, should ensure that he is not already enrolled as service elector or general elector in some other constituency.

*(d) Photograph: A recent good quality passport size unsigned colour photograph (4.5cm X 3.5cm) with white background should be pasted in the space provided. Eyes must be open and both edges of face must be clearly visible.

(e) Elector's Photo Identity Card (EPIC): EPIC will be delivered at given postal address after enrolment, free of cost through speed post under proper acknowledgement.

2. **Item (1) *(Name):** The exact name and spelling should be furnished in both official language of the State and English. If filled in only one language, system will transliterate automatically in other language which may lead to spelling mistakes.

3. **Item (2a) & (2b) (Name and Surname of Relative):** In case of a married female applicant, name of husband may preferably be mentioned. (Strike off the inapplicable options in the column).

4. **Item (5) Aadhaar Details:** Aadhaar Number should be furnished for the purpose of authentication of entries. If the applicant does not have Aadhaar number, the same may be mentioned in box at item 5 (b).

5. Item (6) (Gender):

*(a) Gender in the appropriate box provided for 'Male'/'Female'/'Third Gender' should clearly be tick marked.

(b) Applicants belonging to Third Gender may indicate their sex as 'Male' or as 'Female' or as 'Third Gender'.

6. Item 7(a)(b) (Date of Birth):

*(a) A self-attested copy of one of the documents mentioned in the form can be attached as age proof. Submission of a document mentioned in the form will ensure speedy registration and delivery of services.

(b) If none of the documents mentioned in the form is available, the applicant should enclose some other document in support of age proof; and name of the said document should be mentioned in item 7(ii) and item (iv) of 'DECLARATION' part in Form. In such case, the applicant will have to appear personally before Electoral Registration Officer or any other officer designated by him for verification.

7. Item 8 (Present Ordinary Residence):

*(a) Complete postal address with PIN code should be mentioned along with a self-attested copy of any of the mentioned documents in name of applicant/parents/spouse as proof of ordinary residence.

(b) Necessary field verification shall be made in cases of Homeless Indian Citizens living in sheds/pavements and sex workers having no documentary proof of ordinary residence, provided they are otherwise eligible for enrollment.

(c) Students, who are eligible for enrollment, can be enrolled either at their parent's place or at the hostel/mess where they are ordinarily residing.

8. ***DECLARATION:** All entries in "DECLARATION" portion should be completed in all respects. **Please note that giving any false statement made in the DECLARATION portion is a punishable offence under section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) with imprisonment with a term which may extend to one year or with fine or with both. "**

11. After Form 6A to the said rules, the following Form shall be inserted, namely:—

"Form-6B

[See Rule 26A]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Letter of Information of Aadhaar number for the purpose of electoral roll authentication

[illegible]

I hereby submit the following information for the purpose of authentication of my entry in electoral roll:-
(Please tick the appropriate box)

[illegible]

(ii) ☐ I am not able to furnish my Aadhaar Number because I don't have Aadhaar number. Therefore, I hereby submit a copy of one of the following documents :-

(Please tick any one in the appropriate box)

- ☐ MGNREGA Job Card.
 - ☐ Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office.
 - ☐ Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour.
 - ☐ Driving License.
 - ☐ PAN Card
 - ☐ Smart Card issued by RGI under NPR.
 - ☐ Indian Passport.
 - ☐ Pension document with photograph.
 - ☐ Service Identity card with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies.
 - ☐ Official Identity Card issued to MPs/MLAs/MLCs.
 - ☐ Unique Identity ID (UDID) Card, issued by M/o Social Justice and Empowerment, Government of India.

Signature of the elector:.....

Name of the elector:.....

E-mail ID/Mobile Number:.....

Place:.....

Date " ..

12. For Forms 7 and 8 to the said rules, the following Forms shall, respectively, be substituted, namely:—

	"Form-7" [See rules 13(2) and 26]	FORM No. _____ (To be filled by office)
ELECTION COMMISSION OF INDIA Voter Application Form for Objection for Proposed Inclusion/ Deletion of Name in Existing Electoral Roll		
To, The Electoral Registration Officer, No. & Name of Assembly Constituency No. Name Or No. & Name of Parliamentary Constituency@ No. Name (@ only for Union Territories not having Legislative Assembly)		
I submit application for objection for proposed inclusion/deletion of name in existing electoral roll.		
(1) Name of the applicant		
EPIC No.		
Mobile No. of Self or		
Mobile No. of Relative		
(2) Option of application/objection:- (Tick the appropriate option) (Any one)		
☐ (i) I request to delete name of the person mentioned below already included in the current roll due to any one of the following reasons:- (tick any one)		
☐ Death ☐ Under Age ☐ Absent / Permanently shifted		
☐ Already enrolled ☐ Not Indian Citizen		
☐ (ii) I object to proposed inclusion of name of the person mentioned below due to any one of the following reasons - (tick any one)		
☐ Death ☐ Under Age ☐ Absent / Permanently shifted		
☐ Already enrolled ☐ Not Indian Citizen		
☐ (iii) I request to delete my name from electoral roll due to any one of the following reasons:- (tick any one)		
☐ Permanently shifted ☐ Already enrolled ☐ Not Indian Citizen		
Death Certificate attached (Tick the appropriate option) ☐ Yes ☐ No		
(3) The details of the person in respect of whom objection has been raised, are as below:-		
Name Surname EPIC No.(if available)		
Address	House/Building/ Apartment No.	Street/Area/Locality/ Mohalla/Road
	Town/Village	Post Office
	PIN Code	Tehsil/Taluqa/Mandal
	District	State/UT
DECLARATION		
I HEREBY DECLARE that to the best of my knowledge and belief that I am aware that making a statement or declaration which is false and which I know or believe to be false or do not believe to be true, is punishable under Section 31 of Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.		
Date: _____		
Place: _____ Signature of Applicant/Thumb Impression _____		
Accessibility Instructions:- In the light of provisions of Rights of Persons with Disabilities Act 2016 and Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities etc., signature or left hand thumb impression of person with disability, or signature or left hand thumb impression of his/her legal guardian will be required.		
Acknowledgement/Receipt for application		
Acknowledgment Number _____ Date _____		
Received the application in Form 7 of Shri/Smt./Ms. _____		
[Applicant can refer the Acknowledgement No. to check the status of application.]		
Name/Signature of ERO/AERO/BLO _____		

To be appended to Form-7

GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION
FORM-7

1. **General Instruction:-**

- (a) The application can be made by an elector registered in the existing electoral roll of the constituency.
- (b) The application can be an objection in respect of a registered elector/ an objection to the proposed inclusion of an entry in the electoral roll of the constituency, in which the applicant himself is registered **OR** a request for deletion of the applicant's own name from electoral roll.

2. **Item No. 1 (Name of the applicant)-** The applicant shall mention his name, EPIC no. and mobile number of self 'or' relative (father/mother/husband/legal guardian).

3. **Item No. 2 (Option of objection/application of deletion):-** The applicant has to tick any one option for which he intends to make the application. He must also tick any one of the reasons mentioned below the option, as to why according to him, the person against whom the objection has been made, is not qualified for inclusion in the electoral roll viz. due to death, under age, absent/permanently shifted, already enrolled in the electoral roll at the same place or some other place, not an Indian citizen etc. The onus of proof to substantiate the reason given for objection or removal of name lies with the applicant.

4. **Item No. 3 (Details of the person in respect of whom objection has been made):-** The applicant has to fill up the name, surname, EPIC number and address of the person whose entry is objected to for inclusion or sought to be deleted.

5. **DECLARATION:-** The applicant must give a 'DECLARATION' that the facts and particulars mentioned in the application are true to the best of his/her knowledge and belief.

Please note that giving any false statement made in the DECLARATION portion is a punishable offence under section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) with imprisonment with a term which may extend to one year or with fine or with both.

	Form-8 [See rules 13(3) and 26] ELECTION COMMISSION OF INDIA	FORM No. _____ (To be filled by office)																
Voter Application Form for shifting of Residence/Correction of Entries in Existing Electoral Roll/Replacement of EPIC/Marking of PwD																		
To, _____ The Electoral Registration Officer, No. & Name of Assembly Constituency _____ No. Name _____ Or No. & Name of Parliamentary Constituency@ _____ No. Name _____ (@ only for Union Territories not having Legislative Assembly)																		
(I) Name of the applicant EPIC No. _____																		
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box) (a) ☐ Aadhaar Number or (b) ☐ I am not able to furnish my Aadhaar Number because I don't have Aadhaar Number.																		
Mobile No. of Self (or) Mobile No. of Father/Mother/Any other relative (if available) Email Id of Self (or) _____ Email Id of Father/Mother/Any other relative (if available) _____																		
(II) I submit application for (Tick any one of the following) 1. ☐ Shifting of Residence (or) 2. ☐ Correction of Entries in Existing Electoral Roll (or) 3. ☐ Issue of Replacement EPIC without correction (or) 4. ☐ Request for marking as Person with Disability																		
1. Application for Shifting of Residence I have shifted my residence and I request that my name may be deleted from the previous address and shifted to the current address mentioned below. I request that a replacement EPIC may be issued to me due to change in my address. I hereby return my old EPIC.																		
Present Ordinary Residence (Full Address)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">House/Building/Apartment No.</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Town/Village</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>PIN Code</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>District</td> <td> </td> </tr> </table>	House/Building/Apartment No.		Town/Village		PIN Code		District		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Street/Area/Locality/ Mohalla/Road</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Post Office</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Tehsil/Taluqa/Mandal</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>State/UT</td> <td> </td> </tr> </table>	Street/Area/Locality/ Mohalla/Road		Post Office		Tehsil/Taluqa/Mandal		State/UT	
House/Building/Apartment No.																		
Town/Village																		
PIN Code																		
District																		
Street/Area/Locality/ Mohalla/Road																		
Post Office																		
Tehsil/Taluqa/Mandal																		
State/UT																		
Self-attested copy of address proof either in the name of applicant or anyone of the parents/spouse/adult child, if already enrolled with as elector at the same address (Attach any one of the documents mentioned below ^):-																		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. ☐ Water/Electricity/Gas connection Bill for that address (atleast 1 year)</td> <td style="width: 50%;">2. ☐ Aadhaar Card</td> </tr> <tr> <td>3. ☐ Current passbook of Nationalized/Scheduled Bank/Post Office</td> <td>4. ☐ Indian Passport</td> </tr> <tr> <td>5. ☐ Revenue Department's Land Owning records including Kisan Bahi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. ☐ Registered Rent Lease Deed (In case of tenant)</td> <td>7. ☐ Registered Sale Deed (In case of own house)</td> </tr> </table>			1. ☐ Water/Electricity/Gas connection Bill for that address (atleast 1 year)	2. ☐ Aadhaar Card	3. ☐ Current passbook of Nationalized/Scheduled Bank/Post Office	4. ☐ Indian Passport	5. ☐ Revenue Department's Land Owning records including Kisan Bahi		6. ☐ Registered Rent Lease Deed (In case of tenant)	7. ☐ Registered Sale Deed (In case of own house)								
1. ☐ Water/Electricity/Gas connection Bill for that address (atleast 1 year)	2. ☐ Aadhaar Card																	
3. ☐ Current passbook of Nationalized/Scheduled Bank/Post Office	4. ☐ Indian Passport																	
5. ☐ Revenue Department's Land Owning records including Kisan Bahi																		
6. ☐ Registered Rent Lease Deed (In case of tenant)	7. ☐ Registered Sale Deed (In case of own house)																	
Any Other:- (Pl. Specify) _____																		

2. Application for Correction of Entries in Existing Electoral Roll											
Please correct my following details in Electoral Roll/EPIC:											
(Maximum of 4 entries/particulars can be corrected)											
(Put a tick ☒ in appropriate box below.)											
Copy of self-attested Documentary Proof in support of claim to be attached.											
1. ☐ Name	2. ☐ Gender	3. ☐ DoB/Age									
4. ☐ Relation Type	5. ☐ Relation Name	6. ☐ Address									
7. ☐ Mobile Number	8. ☐ Photo										
The correct particulars in the entry to be corrected are as under:-											
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Name of Document in support of above claim attached											
I request that a replacement EPIC may be issued to me due to change in my personal details. I hereby return my old EPIC.											
3. Application for Issue of Replacement EPIC without correction											
I request that a replacement EPIC may be issued to me as my original EPIC is-											
(Put a tick in appropriate box)											
☐ Lost				☐ Destroyed due to reason beyond control like floods, fire, other- natural disaster etc.							
☐ Mutilated											
I hereby return my mutilated/ old EPIC (OR) I have attached copy of FIR/Police report for lost EPIC & I undertake to return the earlier EPIC issued to me if the same is recovered at a later stage.											
4. Application for Marking Person with Disability											
Category of disability (Tick the appropriate box for category of disability)											
☐ Locomotive			☐ Visual			☐ Deaf & Dumb			☐ If any other (Give description) _____		
Percentage of disability: ☐ %, Certificate attached (Tick the appropriate box) ☐ Yes ☐ No											
DECLARATION											
I HEREBY DECLARE that to the best of my knowledge and belief that I am a citizen of India and I am aware that making a statement or declaration which is false and which I know or believe to be false or do not believe to be true, is punishable under Section 31 of Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.											
Date: _____											
Place: _____						Signature of Applicant/Thumb Impression					
Accessibility Instructions:- In the light of provisions of Rights of Persons with Disabilities Act 2016 and Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities etc., signature or left hand thumb impression of person with disability, or of signature or left hand thumb impression of his/her legal guardian will be required.											
^ Submission of self-attested copy of mentioned documents will ensure speedy delivery of services.											
Acknowledgement/Receipt for application											
Acknowledgment Number _____						Date _____					
Received the application in Form 8 of Shri/Smt./Ms. _____											
Name/Signature of ERO/AERO/BLO											

To be appended to Form-8

GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION
FORM-8

1. **General Instruction:-**
 - (a) The application can be made by a registered/enrolled elector for shifting of residence, or for correction of entries or for issue of replacement EPIC or for marking as PwD.
 - (b) In case of approval of application by Electoral Registration Officer (ERO) for shifting of residence, correction of entries and issue of replacement EPIC without correction, a new replacement EPIC will be issued to the applicant and he has to return his old EPIC to the Electoral Registration Officer immediately.
2. **Item No. I (Name of the applicant)-** The applicant shall mention his name, EPIC no., Aadhaar number, mobile number and email id of self or relative mentioned therein. Aadhaar Number should be furnished for the purpose of authentication of entries. If the applicant does not have Aadhaar number, the same may be mentioned in box at item I (b).
3. **Item No. II (Option for application)-** The applicant has to tick any one of the options for making application and fill the details in the relevant section of the application. All other sections which are not relevant should be struck off.
4. **Application for shifting of residence-**
 - (a) The application has to be made to the Electoral Registration Officer of the constituency in which the new address of the applicant is located.
 - (b) The applicant has to mention his new address, where he has shifted to and presently staying and attach a self-attested copy of any one of the mentioned documents as address proof in his own name or in name of his parents/spouse. He has to tick the mentioned document which he has given as address proof. Mentioned document will ensure speedy delivery of services. If he does not possess any of the mentioned documents, he has to mention name of the other document given for address proof in the blank space.
5. **Application for correction of entries in existing roll-**
 - (a) If an applicant intends to get any existing entry relating to him in the electoral roll corrected, he has to tick in the appropriate box and attach the document in the support of his claim. The name of the document must be mentioned in the blank space given.
 - (b) In case, the applicant desires to change his photograph, he has to paste a recent good quality passport size unsigned colour photograph (4.5 cm X 3.5 cm) with white background, in the box meant for it.
6. **Application for replacement EPIC without correction-** The applicant shall put a tick in appropriate box seeking for a replacement EPIC. He shall return his mutilated/old EPIC or submit a copy of FIR/Police report for lost EPIC.
7. **DECLARATION-** The applicant must give a 'DECLARATION' that the facts and particulars mentioned in the application are true to the best of his/her knowledge and belief.
Please note that giving any false statement made in the DECLARATION portion is a punishable offence under section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) with imprisonment with a term which may extend to one year or with fine or with both. ”.

14. For Forms 11 and 11A to the said rules, the following Forms shall be substituted, namely:—

“FORM 11

[See rules 15 and 16]

LIST OF OBJECTIONS/ APPLICATION FOR CORRECTION OF ENTRIES/REPLACEMENT OF EPIC/ MAKING OF PWD RECEIVED IN FORM 8

Designated location identity (where applications have been received)		Constituency (Assembly/Parliamentary [£] Constituency		Revision Identity			
1. List number [@]		2. Period of receipt of applications (covered in this list)		From date		To date	
				/...../.....		/...../.....	
3. Place of hearing [*]							
Serial Number ^{\$} of application	Date of receipt	Name of elector objecting/ making application	Reasons for objection/ applications			Date of hearing [*]	Time of hearing [*]
			Whether correction of entry (Y/N)	Whether replacement of EPIC (Y/N)	Whether marking of PwD		
1	2	3	4	5	6	7(a)	7(b)
£ In case of union territories having no Legislative Assembly @ For this revision for this designated location *Place, time and date of hearing as fixed by Electoral Registration Officer. \$ Running serial number is to be maintained for each revision for each designated location			Date of exhibition at designated location under rule 15 (b)			Date of exhibition at Electoral Registration Officer's office under rule 16(b)	

FORM 11A

[See rules 15 and 16]

LIST OF APPLICATIONS FOR SHIFTING OF ADDRESS WITHIN THE CONSTITUENCY RECEIVED IN FORM 8

Designated location identity (where applications have been received)		Constituency (Assembly/Parliamentary [£] Constituency		Revision Identity	
1. List number [@]		2. Period of receipt of application (covered in this list)		From date	
				/...../.....	
				To date	
				/...../.....	

3. Place of hearing*				
Serial Number ^{\$} of application	Date of receipt	Name of elector objection/ making application	New Address (Present place of ordinary residence)	Date/Time hearing*
1	2	3	4	5
£ In case of union territories having no Legislative Assembly @ For this revision for this designated location *Place, time and date of hearing as fixed by Electoral Registration Officer. \$ Running serial number is to be maintained for each revision for each designated location			Date of exhibition at designated location under rule 15(1) (b)	Date of exhibition at Electoral Registration Officer's office under rule 16(b)

FORM 11B
[See rules 15 and 16]

**LIST OF APPLICATIONS FOR SHIFTING OF ADDRESS OUTSIDE THE CONSTITUENCY
RECEIVED IN FORM 8**

Designated location identity (where applications have been received)	Constituency (Assembly/Parliamentary [£] Constituency)	Revision Identity		
1. List number [@]	2. Period of receipt of application (covered in this list)	From date	To date	
		/...../.....	/...../.....	
3. Place of hearing*				
Serial Number ^{\$} of application	Date of receipt	Name of elector objection/ making application	New Address (Present place of ordinary residence)	Date/Time hearing*
1	2	3	4	5
£ In case of union territories having no Legislative Assembly @ For this revision for this designated location *Place, time and date of hearing as fixed by Electoral Registration Officer. \$ Running serial number is to be maintained for each revision for each designated location			Date of exhibition at designated location under rule 15(1) (b)	Date of exhibition at Electoral Registration Officer's office under rule 16(b)".

15. For Forms 18 and 19 to the said rules, the following Forms shall, respectively, be substituted, namely:—

	"Form-18" (See Rule 31) ELECTION COMMISSION OF INDIA Claim for inclusion of name in the electoral roll for a Graduates' Constituency	SPACE FOR PASTING ONE RECENT UNSIGNED PASSPORT SIZE COLOR PHOTOGRAPH (4.5 CM X 3.5 CM) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITH WHITE BACKGROUND								
To, The Electoral Registration Officer, _____ (Graduates) Constituency.										
Sir, I request that my name be registered in the electoral roll for the.....(Graduates') Constituency.										
1. The particulars are:-										
Full Name		Sex								
Father's/Mother's/Husband's Name (in full)										
Qualification										
Occupation										
House Address (Place of ordinary residence) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">House/Building/Apartment No.</td> <td style="width: 50%;">Street/ Mohalla</td> </tr> <tr> <td>Town/Village</td> <td>Post Office</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Police Station/Tehsil/Taluqa/Mouza</td> </tr> <tr> <td>District</td> <td>State</td> </tr> </table>			House/Building/Apartment No.	Street/ Mohalla	Town/Village	Post Office	Police Station/Tehsil/Taluqa/Mouza		District	State
House/Building/Apartment No.	Street/ Mohalla									
Town/Village	Post Office									
Police Station/Tehsil/Taluqa/Mouza										
District	State									
Age Years Months Date of Birth										
Disability (if any):- (Tick appropriate box) (optional Field) ☐ Visual impairment ☐ Speech & hearing disability ☐ Locomotor disability ☐ Other										
Whether registered as an elector for any assembly constituency _____										
If yes, then mention the following---										
(a) Number and Name of the Assembly constituency _____										
(b) Part/Polling Station No. (if known) _____										
(c) Date of Birth										
(d) EPIC Number (if any) _____										
Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)										
(a) ☐ Aadhaar Number or										
(b) ☐ I am not able to furnish my Aadhaar Number because I don't have Aadhaar Number										
Contact Number :-										
Mobile No. (optional)										
Landline										
Email Id (if any) _____										
2. *I am a graduate of the.....University having passed the degree/diploma examination in the year										
OR										
*I am in possession of a diploma/certificate in.....which is a qualification equivalent to that of a graduate University in India having passed the examination for the diploma/certificate in the year.....										

3. In support of my claim as being a graduate/in possession of the above diploma/certificate. I submit herewith.....

4. **My name has not been included in the electoral roll for this or any other graduates' constituency.

OR

**My name has been included in the electoral roll for the.....graduates' constituency under the address given below and I request that it be deleted from that roll

5. I declare that I am a citizen of India and that all the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Place _____

Date _____

Signature of claimant

NOTE : Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is punishable under section 31 of the Representation of the People Act, 1950.

*Strike off the paragraph not applicable.

**Strike off the inappropriate alternative.

.....(Perforation).....

Intimation of action taken

The application in Form 18 of Shri/Smt./Kumari.....address.....has been—

- (a) accepted and the name of Shri/Smt./Kumari.....has been registered at Serial No.....in Part No.....
(b) rejected for the reason.....

Date _____

Electoral Registration Officer,
(Address) _____

.....(Perforation).....

Receipt of application

Received the application in Form 18 from Shri/ Smt./Kumari*address*

Date _____

Electoral Registration Officer,
(Address) _____

*To be filled in by the applicant



Form-19

(See Rule 31)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Claim for inclusion of name in the electoral roll for a Teachers' Constituency

To,

The Electoral Registration Officer,

(Teachers') Constituency.

SPACE FOR PASTING ONE
RECENT UNSIGNED
PASSPORT SIZE COLOR
PHOTOGRAPH (4.5 CM X
3.5 CM) SHOWING
FRONTAL VIEW OF FULL
FACE WITH WHITE
BACKGROUND

Sir,

I request that my name be registered in the electoral roll for the.....(Teachers') Constituency.

The particulars are:-

Full Name

Sex

Father's/Mother's/Husband's Name (in full)

House Address (Place of ordinary residence)

House/Building/Apartment No.	Street/ Mohalla
Town/Village	Post Office
Police Station/Tehsil/Taluqa/Mouza	
District	State

Age

Years

Months

Date of Birth

Disability (if any):- (Tick appropriate box) (optional Field)

☐

Visual impairment

☐

Speech & hearing disability

☐

Locomotor disability

☐

Other

Whether registered as an elector for any assembly constituency

If yes, then mention the following---

(a) Number and Name of the Assembly constituency

(b) Part/Polling Station No. (if known)

(c) Date of Birth

(d) EPIC Number (if any)

Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)

☐

Aadhaar Number

or

☐

I am not able to furnish my Aadhaar Number because I don't have Aadhaar Number

Contact Number :-

Mobile No. (optional)

Landline

Email Id (if any)

2. During the last six years, I have been engaged in teaching for a total period of more than three years as follows-

Name of Educational Institution	From (Date)	To (Date)	Period
1.			
2.			
3.			
4.			
In support of the above, I submit herewith			

3. *My name has not been included in the electoral roll for this or any other teachers' constituency.

OR

*My name has been included in the electoral roll for the.....teachers' constituency under the address given below and I request that it be deleted from that roll :-

4. I declare that I am a citizen of India and that all the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Place _____
Date _____

Signature of claimant

NOTE : Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is punishable under section 31 of the Representation of the People Act, 1950.

*Strike off the paragraph not applicable.

.....(Perforation).....

Intimation of action taken

The application in Form 19 of Shri/Smt./Kumari..... address

- has been-
- (a) accepted and the name of Shri/Smt./Kumari.....has been registered at Serial No..... in Part No.....
- (b) rejected for the reason.....

Date _____

Electoral Registration Officer,
(Address) _____

.....(Perforation).....

Receipt of application

Received the application in Form 18 from Shri/ Shrimati/Kumari*.....

address*.....

Date _____

Electoral Registration Officer,
(Address) _____

*To be filled in by the applicant".

[F. No. H-11019/4/2019-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 2750(E), dated the 10th November, 1960 and the rules were lastly amended vide number S.O. 2968(E), dated the 16th September, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

का.आ. 2803(अ)—केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 23 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2023 को ऐसी तारीख के रूप में अधिसूचित करती है, जिस तारीख को या जिसके पूर्व प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाता है, उक्त धारा के अनुसार अपना आधार संख्यांक सूचित कर सकेगा।

[फा. सं. एच-11019/4/2019-वि.II]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2022

S.O. 2803(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 23 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government hereby notifies the 1st April, 2023 as the date on or before which every person whose name is included in the electoral roll may intimate his Aadhaar number in accordance with the said section.

[F. No. H-11019/4/2019-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

का.आ. 2804(अ)—केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 के साथ पठित धारा 77 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 17 के खंड (ख) में, “पत्नी” शब्द के स्थान पर, “पति या पत्नी” शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. एच-11019/4/2019-वि.II]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. 859(अ), तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. का.आ. 72(अ), तारीख 6 जनवरी, 2022 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2022

S.O. 2804(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 77 read with section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission of India, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Second Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the 1st day of August, 2022.

2. In the Conduct of Elections Rules, 1961, in rule 17, in clause (b), for the word “wife”, the word “spouse” shall be substituted.

[F. No. H-11019/4/2019-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O.859(E), dated the 15th April, 1961 and were lastly amended *vide* notification number S.O. 72 (E), dated the 6th January, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

का.आ. 2805(अ)—केंद्रीय सरकार, निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 49) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अगस्त, 2022 को ऐसी तारीख के रूप में, जब उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

[फा. सं. एच-11019/4/2019-वि0.II]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2022

S.O. 2805(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Election Laws (Amendment) Act, 2021 (49 of 2021), the Central Government hereby appoints the 1st August, 2022 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. H-11019/4/2019-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062022-236711
CG-DL-E-19062022-236711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2674]
No. 2674]

नई दिल्ली, रविवार, जून 19, 2022/ज्येष्ठ 29, 1944
NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 19, 2022/JYAISHTHA 29, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 जून, 2022

का.आ. 2811(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), संख्या 2668, तारीख 17 जून, 2022 में प्रकाशित विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 2802(अ) और 2804(अ) के हिन्दी पाठ में,—

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
1	9	राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख	1 अगस्त, 2022
2	11	अंतःस्थापित किया	रखा
2	30	के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया	के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा
2	41	की 23	की धारा 23
3	1	अंतःस्थापित किए	रखे
7	27	(26)	26
8	23	अनाथ की दशा में विधिक संरक्षक	अनाथ की दशा में विधिक संरक्षक/तृतीय लिंग की दशा में गुरु

10	14 के पश्चात्	--	दिव्यांगता का प्रतिशत % प्रमाणपत्र संलग्न (समुचित बॉक्स पर निशान लगाएँ) ☐ हां ☐ नहीं
10	29	मेरे पास आयु	मेरे पास ऊपर 7ख(i) में उल्लिखित जन्म तारीख/आयु
11	16	सकती	सकता
13	13	(क)	(i)
13	14	(ख) ☐ मैं आधार सं. प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है।	(ii) ☐ मैं आधार सं. प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है। इसलिए मैं निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज़ की प्रति प्रस्तुत करता हूँ:- (कृपया समुचित बॉक्स में से किसी एक पर सही का निशान लगाएँ)
13	14 के पश्चात्	---	☐ मनरेगा जॉब कार्ड
		---	☐ बैंक/डाकघर द्वारा जारी की गई पासबुक
		---	☐ श्रम मंत्रालय की स्कीम के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
		---	☐ चालन अनुज्ञप्ति
		---	☐ पैन कार्ड
		---	☐ एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
		---	☐ भारतीय पासपोर्ट
		---	☐ छायाचित्र के साथ पेंशन दस्तावेज़
		---	☐ केन्द्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी छायाचित्र के साथ सेवा पहचान कार्ड
		---	☐ संसद् सदस्यों/विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी शासकीय पहचान पत्र
		---	☐ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी

			विशिष्ट पहचान परिचय-पत्र (यूडीआईडी)																		
14	32	स्थायी रूप से स्थानांतरित	☐ स्थायी रूप से स्थानांतरित																		
14	33 के पश्चात्	--	मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न (समुचित विकल्प पर सही का निशान लगाएँ) ☐ हां ☐ नहीं																		
16	1-3	आवेदक को ऐसे व्यक्ति का नाम, उपनाम, भाग सं. क्रम सं. और ईपीआईसी सं. भरनी होगी जिसके नाम को सम्मिलित करते हुए आक्षेप किया गया है या जिसके नाम को हटाना इप्सित है। व्यक्ति के भाग सं. और क्रम सं. की www.nvsp.in या मतदाता हेल्पलाइन ऐप से खोज की सकती है।	आवेदक को ऐसे व्यक्ति का नाम, उपनाम, ईपीआईसी संख्यांक और पता भरना होगा जिसकी प्रविष्टि को सम्मिलित करने हेतु आक्षेप किया गया है या हटाना इप्सित है।																		
16	9	(26)	26																		
17	28	रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में)	☐ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में)																		
17	30	(2)	2.																		
18	8 के पश्चात्	---	सुधार की जाने वाली प्रविष्टि में सही विशिष्टियां निम्नानुसार हैं:- <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
18	26 के पश्चात्	---	दिव्यांगता का प्रतिशत ☐ % प्रमाणपत्र संलग्न (समुचित बॉक्स पर निशान लगाएँ) ☐ हां ☐ नहीं																		
27	18	प्ररूप 18	प्ररूप 19																		
49	23	राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख	1 अगस्त, 2022																		

[फा. सं. एच-11019/4/2019-वि. II]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 18th June, 2022

S.O. 2811(E).—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Law and Justice (Legislative Department), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), No. 2668, dated the 17th June, 2022, in the notification number S.O. 2802(E), at page 48, in line 29, for “Form 18” read “Form 19”.

[F. No. H-11019/4/2019-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. & Legislative Counsel